[2021] 1 एस. सी. आर. 389

रामा नारंग

वी.

रमेश नारंग और अन्य

2008 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 92

में।

2003 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 148

में।

1998 की सिविल अपील संख्या 366

19 जनवरी, 2021

[ए. एम. खानविलकर और बी. आर. गवई, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971: धारा 2 (बी)-अवमानना कार्यवाही

सीमा-सहमति आदेश का उल्लंघन-याचिकाकर्ता और उसके बेटे

(प्रतिवादी) एक कंपनी के एकमात्र निदेशक थे-याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद-बेटे सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 के आदेशों में दर्ज सहमति आदेश के संदर्भ में विवाद का उद्देश्यपूर्ण निपटान-याचिकाकर्ता-पिता ने अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी बेटों ने सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया था-15 मार्च, 2007 के फैसले द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को दोषी ठहराया अवमानना-प्रत्यर्थियों ने कंपनी विधि बोर्ड (सी. एल. बी.) के समक्ष कंपनी याचिका दायर की, जिसके बाद सी. एल. बी. ने 10 अप्रैल 2008 को अंतरिम आदेश पारित किया-याचिकाकर्ता ने तत्काल अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि सी. एल. बी. का आदेश 15 मार्च 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था-क्या सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करना और सी. एल. बी. द्वारा उक्त कार्यवाही का मनोरंजन करना अवमानना के बराबर था-अभिनिर्धारित किया गया: एक व्यक्ति अदालत की अवमानना नहीं करता है यदि कुछ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वह अन्य न्यायिक मामलों का सहारा लेता है।

कार्यवाही उनके लिए खुली है, भले ही बाद की कार्यवाही दूसरे पक्ष को नुकसान में डालती है-तथ्यों पर, उत्तरदाताओं ने सोचा कि सी. एल. बी. की शक्तियों का उपयोग करके उसकी शक्तियों का उपयोग करना विवेकपूर्ण है। 397 , 398 और कंपनी अधिनियम की धारा 403-प्रत्यर्थियों ने बाध्यकारी कानूनी प्रावधानों के तहत उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपचार का सहारा लिया।

कंपनी और उसके हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए परिस्थितियाँ-याचिकाकर्ता जानबूझकर एक मामला बनाने में विफल रहा,

किसी भी निर्देश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा

न्यायालय द्वारा दिया गया या न्यायालय की अवमानना याचिका को दिए गए वचन के उल्लंघन में कार्य करते हुए तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 को खारिज कर दिया गया। 397 , 398 और 403।

न्यायालय की अवमानना: अवमानना कार्यवाही-प्रकृति और दायरा-आयोजित: अवमानना की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है

और आवश्यक सबूत का मानक अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही है-कथित अवमानक सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों की सुरक्षा का हकदार है जो अपराधी में प्रदान किए गए हैं।

न्यायशास्त्र, संदेह के लाभ सहित-अवमानना के कानून के तहत सजा की मांग तब की जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवज्ञा में हो।

न्यायालय की अवमानना: अवमानना कार्यवाही-निष्पादन कार्यवाही से अंतर-आयोजित: अवमानना कार्यवाही की तरह नहीं है

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन कार्यवाही-निर्णय का पालन न करने के लिए अवमानक को दंडित करने से पहले

न्यायालय, न्यायालय को न केवल किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी-हालांकि, दीवानी न्यायालय, फैसले के खिलाफ एक डिक्री को निष्पादित करते समय-ऋणी इस बात से चिंतित और परेशान नहीं है कि क्या किसी निर्णय या डिक्री की अवज्ञा जानबूझकर की गई थी और एक बार डिक्री पारित हो जाने के बाद, डिक्री को निष्पादित करना अदालत का कर्तव्य है, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों-सिविल प्रक्रिया संहिता-निष्पादन।

अधिकार क्षेत्र: न्यायालय की अधिकारिता अपने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लंबित रहने तक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए आयोजित: भले ही

एक मंच के अधिकार क्षेत्र में आपत्ति उठाई जाती है, इसके पास अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है जब तक कि यह अंतत: अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का फैसला नहीं करता है और इस तरह के आदेश पार्टियों पर तब तक बाध्यकारी हैं जब तक कि

अधिकारिता तय की जाती है-यदि न्यायालय का मानना है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह आदेशों को संशोधित करने के लिए खुला है-हालांकि, लागू होने के दौरान, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का पालन करना होगा और वादी के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के सवाल का फैसला होने के बाद भी उनके उल्लंघन को दंडित किया जा सकता है, बशर्ते अधिकार क्षेत्र के सवाल पर न्यायालय के फैसले से पहले उल्लंघन किया गया हो-निर्णय

/ आदेश-अंतरिम आदेश।

रामा नारंग बनाम। रमेश नारंग और अन्य

नागरिक अवमानना: जानबूझकर अवज्ञा या जानबूझकर उल्लंघन-अदालत को एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर की गई थी और

इरादतन-एक पक्ष द्वारा जानबूझकर न्याय में बाधा डालने का एक स्पष्ट मामला होना चाहिए-जहां अदालत संतुष्ट है कि ऐसा

अवज्ञा कुछ बाध्यकारी परिस्थितियों का परिणाम है, जिसके तहत अवमानकर्ता के लिए इसका पालन करना संभव नहीं है, न्यायालय कथित अवमानकर्ता को दंडित नहीं कर सकता है।

अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1 . किसी कार्रवाई को नागरिक अवमानना के दायरे में लाने के लिए, किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन होना चाहिए। [पैरा 48] [422-जी; 423-ए]

2.1 एक व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई जो वह अनुसरण में करता है

कानून की अदालत में कानूनी कार्रवाई करने का उसका अधिकार, न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं होगा, भले ही वह हो सकता है अपनी न्यायिक कार्यवाही के संबंध में दूसरे पक्ष की ओर से कुछ कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सिद्धांत यह है कि एक पक्ष अपने कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। एक व्यक्ति नहीं करता है

न्यायालय की अवमानना करना यदि कुछ मामलों के लंबित रहने के दौरान

कार्यवाहियों में, वह अपने लिए खुली अन्य न्यायिक कार्यवाहियों का सहारा लेता है, भले ही बाद की कार्यवाहियों ने दूसरे पक्ष को नुकसान में डाल दिया हो। [पैरा 68] [432-डी-एफ] 2.2 तत्काल मामले में, प्रतिवादियों ने वैध रूप से कंपनी लॉ बोर्ड (सी. एल. बी.) से संपर्क किया था।

कंपनी अधिनियम की धारा 397,398 और 403 के तहत अधिकार क्षेत्र। सीएलबी ने कंपनी अधिनियम की धारा 403 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किए थे। केवल प्रत्यर्थियों के लिए उपलब्ध वैधानिक उपाय का सहारा लेना अवमानना नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को दोषी ठहराते हुए आदेश पारित किए जाने और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाले जाने के बाद कि वर्तमान याचिकाकर्ता सह-संचालन नहीं कर रहा है। कंपनी के मामलों को चलाने में उत्तरदाताओं के साथ, लेकिन इसके विपरीत कंपनी के कामकाज को रोकने का हर संभव प्रयास करते हुए; उत्तरदाताओं ने धारा 397,398 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके सी. एल. बी. से संपर्क करना विवेकपूर्ण समझा और

403 कंपनी अधिनियम। उत्तरदाताओं को [2021] 1 एस. सी. आर. की सुरक्षा के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों में उस उपाय का सहारा लेना पड़ा।

पारित होने पर, यह अदालत का कर्तव्य था कि वह डिक्री को निष्पादित करे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। अवमानना की कार्यवाही में अवमानकर्ता को दोषी ठहराए जाने और दंडित किए जाने से पहले, न्यायालय को एक निष्कर्ष दर्ज करना होता है, कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। यदि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से, यद्यपि न्यायालय संतुष्ट है कि एक अवज्ञा हुई है लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मजबूर करने का परिणाम है

जिन परिस्थितियों में अवमानकर्ता के लिए इसका पालन करना संभव नहीं है, न्यायालय कथित अवमानकर्ता को दंडित नहीं कर सकता है। [पैरा 73] [435-डी-एच]

4. अवमानना की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है और आवश्यक सबूत का मानक उसी तरीके से होता है जैसे कि

अन्य आपराधिक मामले। कथित अवमानकर्ता संदेह के लाभ सहित आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों के संरक्षण का हकदार है। किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर न्याय के प्रशासन में बाधा डालने का एक स्पष्ट मामला होना चाहिए, ताकि मामले को न्यायपालिका के दायरे में लाया जा सके।

प्रावधान कहा। अवमानना के कानून के तहत सजा की मांग तब की जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना में हो। [पैरा 75] [437-सी-ई] रामा नारंग बनाम।

5.1 तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा का मामला बनाने में विफल रहा है

इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या इस न्यायालय को दिए गए किसी वचन का उल्लंघन करते हुए कार्य करना। इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों ने वैधानिक प्रावधानों के तहत उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का सहारा लिया था। [पैरा 76] [437-सी-जी]

अधिकारिता के प्रश्न पर न्यायालय। [पारस 76-79] [438-GH; 439-A-C] 6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सी. एल. बी. ने यह उचित माना कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक कंपनी के साथ-साथ 3000 से अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों के हित में एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा बिना किसी बाधा के दिन-प्रतिदिन का संचालन किया जाए। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। सी. एल. बी. द्वारा पारित कोई भी आदेश उच्च मंचों के समक्ष अपील योग्य था। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है। उसी को चुनौती नहीं देने के बाद, याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही की स्थिरता के बारे में आपत्ति ली है, इसलिए उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना हैं और कार्यवाही की शुरुआत [2021] 1 एस. सी. आर.

और उस पर पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय की अवमानना करने के बराबर होगा। यहां तक कि अगर आपत्ति किसी मंच के अधिकार क्षेत्र में उठाई जाती है, तो भी उसके पास अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है जब तक कि वह अंततः अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का फैसला नहीं करता है और इस तरह के आदेश पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी हैं जब तक कि अधिकार क्षेत्र का मुद्दा तय नहीं हो जाता है। हालाँकि, यह नहीं माना जाना चाहिए कि सी. एल. बी. के तहत कार्यवाही कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य थी। चूंकि कार्यवाही है अंतिम निर्णय होने तक, पक्षकार अधिकार क्षेत्र के मुद्दे सहित अपने लिए उपलब्ध सभी मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए जाने चाहिए। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के लागू होने पर, सी. एल. बी. के समक्ष लंबित कार्यवाही अब राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को हस्तांतरित कर दी गई है। पक्षकारों के लिए यह उचित होगा कि वे कानून के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे आदेशों की मांग के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। [पारस 81,84] [440-डी-एच; 441-सी, एफ-एच]

प्रताप सिंह और एक अन्य वी। गुरबख्श सिंह [1962] एस. सी. आर. 2 सप्लीमेंट। 838 ; मेहर रूसी दलाल (श्रीमती) बनाम। टी. के. बनर्जी और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 119; नियाज़

मोहम्मद और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (1994) 6 एस. सी. सी. 332: [1994] 3 पूरक। एससीआर 720; कंवर सिंह सैनी बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय (2012) 4 एससीसी 307: [2011] 15 एस. सी. आर. 972; देबब्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य ए. आई. आर 1969 एस. सी. 189 [1969] एस. सी. आर. 304 और तैयबभाई एम. बागसरवाला और एक अन्य वी। हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य (1997) 3 एस. सी. सी. 443: [1997] 2

एस. सी. आर. 152-पर निर्भर था।

हृषिकेश सान्याल बनाम। ए. पी. बागची आई. एल. आर. 1940 ऑल 710 और राधे लाल बनाम। निरंजन नाथ ए. आई. आर. 1941 सभी 95 आयोजित स्वीकृत किया गया।

राम नारंग बनाम। रमेश नारंग और एक अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 114: [2006] 3 एस. सी. आर. 1068; राम नारंग (वी) बनाम। रमेश नारंग और अन्य (2009) 16 एस. सी. सी. 126:

[2007] 3 एस. सी. आर. 1099; विजय लक्ष्मी और अन्य बनाम। प्रभु देवी और अन्य (2017) 11 एस. सी. सी. 169; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत बनाम. अजीत जैन और अन्य (1995) 1 पूरक। एस. सी. सी. 683; पुनः विनय चंद्र मिश्रा (कथित समकालीन)

रामा नारंग बनाम। रमेश नारंग और अन्य

(1995) 2 एससीसी 584: [1995] 2 एस. सी. आर. 638; संग्रामसिंह

पी. गायकवाड़ और अन्य बनाम शांतादेवी पी. गायकवाड़ (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से (2005) 11 एस. सी. सी. 314:

[2005] 1 एस. सी. आर. 624 और काले और अन्य बनाम। डिप्टी

समेकन और अन्य निदेशक (1976) 3 एस. सी. सी.

119 : [1976] 3 एस. सी. आर. 202 का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 3 एससीआर 1068

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2007] 3 एससीआर 1099

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

उस पर भरोसा करें

[1997] 2 एससीआर 152

पै

रा 39

(2017) 11 एससीसी 169

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

(1995) 1 पूरक। एस. सी. सी. 683

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1995] 2 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2005] 1 एससीआर 624

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर 202

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

[1962] 2 एससीआर सप्लीमेंट। 838

पै

रा 68

(2004) 5 एससीसी 119

उस पर भरोसा करें

पै

रा 70

[1994] 3 पूरक। एससीआर 720

उस पर भरोसा करें

पै

रा 73

[2011] 15 एससीआर 972

उस पर भरोसा करें

पै

रा 74

[1969] एससीआर 304

उस पर भरोसा करें

पै

रा 75

अंतर्निहित न्यायनिर्णय: अवमानना याचिका (सिविल) सं. 92

1998 की सिविल अपील संख्या 366 में 2003 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 148 में 2008 का।

जयंत के. सूद, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, जयदीप गुप्ता, कपिल सिब्बल,

अखिल सिब्बल, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विजा, भार्गव वी. देसाई, सुश्री अदिति दीवान, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, सलीम इनामदार, सुश्री स्वीना नायर, मैसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, डी. एल. चिदानंद, सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री शीना ताकी, क्षितिज वैभव, श्रीमती बीना गुप्ता, सुश्री सुवर्णा दुबे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अवमानना याचिका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिवार से उत्पन्न होती है

एक ओर पिता और दूसरी ओर उसकी पहली पत्नी के दो बेटों के बीच विवाद। इस पारिवारिक विवाद ने कई कार्यवाहियों को जन्म दिया है, जिनमें से कुछ इस न्यायालय तक भी पहुंच गए हैं।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. वर्तमान मामले के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है: अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता रमा नारंग का विवाह श्रीमती से हुआ था। मोतिया। प्रत्यर्थी सं। 1 और 2 अर्थात रमेश नारंग और

राजेश नारंग और राकेश नारंग याचिकाकर्ता के बेटे हैं और

श्रीमती. मोतिया। याचिकाकर्ता और श्रीमती. मोतिया का 1963 में तलाक हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने श्रीमती से शादी की। मोना। उक्त विवाह में से दो बेटे रोहित और राहुल के साथ-साथ एक बेटी रमोना का जन्म हुआ।

3. इन पक्षों के बीच मुकदमे के पिछले दौर में, प्रतिवादी संख्या 1-रमेश नारंग ने 1998 की सिविल अपील संख्या 2,1998 की 603 और 1998 की 605 में 1998 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 209 में 1999 की अवमानना याचिका (सी) Nos.265-67 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वर्तमान याचिकाकर्ता राम नारंग उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 1 थे। इस न्यायालय ने 2 नवंबर 2001 को उक्त कार्यवाही में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" कॉनमेट में। पेट। ((ग) संख्या। 265-267 / 1999 कॉनमेट में। पेट। (ग) सिविल अपील में No.209/1998 No.366/1998,603/1998 & 605 /

1998 .

श्री कपिल सिब्बल को सुनने के बाद, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता और श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ

कथित अवमानक के वकील, विस्तार से, हम संतुष्ट हैं

कि अवमानकर्ता ने इस न्यायालय के 4 मई, 1999 के आदेश का उल्लंघन करते हुए 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित नहीं की है (और यह तर्क देते हुए कि वह 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल मेसर्स एन. आई. एच. पी. एल. के शेयरों की गणना करके ही प्राप्त कर सकता है। फैशन वेर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे दिनांकित आदेश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है

22.01.1998) . हम अवमानकर्ता से कारण दिखाने का आह्वान करते हैं

उस पर लगाए जाने वाले दंड के बारे में जिसके लिए वह

29 नवंबर, 2001 को इस न्यायालय में पेश किया जाएगा। सी. पी. में आई. ए. सं. 6. (ग) सी. ए. में No.209/1998. No.366/1998। वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया।

29 नवंबर, 2001 को सभी मामलों को सूचीबद्ध करें।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इस मामले को आपस में सुलझा लिया गया।

पक्षों और पक्षों ने सहमति आदेश के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में रखा था। 12 दिसंबर 2001 को इस न्यायालय द्वारा पारित पूरे आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" निम्नलिखित मामले उन पक्षों के बीच लंबित हैं जो

दूसरा। हमें बताया गया है कि सभी पक्षों ने अपना समझौता कर लिया है। नीचे निर्दिष्ट सभी मुकदमों के संबंध में विवाद।

1. बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1994 का ओ. एस. सं. 3535

अदालत।

2 .

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1994 का ओ. एस. सं. 3578

अदालत।

3. बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1998 का ओ. एस. सं. 1105

अदालत।

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1996 का ओ. एस. सं. 3469

4 .

अदालत।

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1998 का ओ. एस. सं. 1792

5 .

अदालत।

6 .

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 का ओ. एस. सं. 320।

7 .

1992 से पहले कंपनी याचिका संख्या 28

प्रधान पीठ, कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली।

बॉम्बे से पहले 1994 का मध्यस्थता मुकदमा सं. 5110

8 .

उच्च न्यायालय।

आज उन्होंने एक दस्तावेज़ दाखिल किया जिसका नाम था "मिनट्स ऑफ़

सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित आदेश। सीखा है।

दोनों पक्षों के वकील ने कहा कि सभी पक्षों ने

इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं। आज मोना नारंग को छोड़कर और

रमोना नारंग (दो महिलाएं), बाकी सभी पक्ष हमारे सामने मौजूद हैं जब ये कार्यवाही निर्धारित की जाती है। जहाँ तक मोना नारंग और रमोना नारंग की बात है, वे विद्वान हैं।

प्रस्तुत किया कि मोना नारंग ने हस्ताक्षर किए थे और

रमोना नारंग के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने हस्ताक्षर किए हैं

उनकी उपस्थिति में उपरोक्त दस्तावेज़। यह अभिलिखित है।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सभी मुकदमों का निपटान शर्तों के अनुसार किया जा सकता है

"मिनट्स ऑफ कॉन्सेन्ट" द्वारा प्रमाणित समझौते का

आदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। उन मामलों के निपटारे के लिए

और/या उनमें फरमान पारित करने के लिए हमें अब हमारे सामने प्रस्तुत समझौते के संदर्भ में अंतिम औपचारिक आदेश का उच्चारण करना होगा।

इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 139-ए के तहत इस न्यायालय में उपरोक्त सभी मुकदमों को वापस लेते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर को निर्देश दिया जाता है कि वे विशेष दूत द्वारा उपरोक्त मुकदमों में रिकॉर्ड को इस अदालत में प्रेषित करें ताकि आज से दस दिनों के भीतर यहां रजिस्ट्री तक पहुंचा जा सके। कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के पीठ अधिकारी को 1992 की कंपनी याचिका संख्या 28 से संबंधित अभिलेखों को इस न्यायालय की रजिस्ट्री को भेजने का निर्देश दिया जाता है ताकि आज से दस दिनों के भीतर रजिस्ट्री तक पहुंचा जा सके।

सभी दलों ने हमारे सामने वचन दिया है कि वे करेंगे "मिनट्स ऑफ कॉन्सेन्ट ऑर्डर" की शर्तों को लागू करें

आई. डी. 1 पर या उससे पहले और मामले में आगे कोई समय नहीं मांगा जाएगा।

समझौते का खंड (च) बैंक खातों के संचालन से संबंधित है। वह खंड आज से लागू होगा।

आगे की ओर।

उपरोक्त सभी मुकदमे और कंपनी की याचिका इन अवमानना कार्यवाही के साथ 8.1.2002 पर सुबह 10.30 पर अंतिम औपचारिक आदेशों के लिए तैनात किया जाए।

5. यह मामला 8 जनवरी को इस न्यायालय के समक्ष फिर से आया इस न्यायालय ने इस प्रकार आदेश पारित किया:

" 12 दिसंबर, 2001 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित मुकदमे और कंपनी याचिकाएं प्रेषित की गई हैं।

इस अदालत में और वे अब इस अदालत की फाइल पर हैं और हस्तांतरित मामलों की संख्या के रूप में पंजीकृत हैं। 1 2002 के 8 तक:

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1994 का ओ. एस. सं. 3535

1 .

अदालत।

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1994 का ओ. एस. सं. 3578

2 .

अदालत।

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1998 का ओ. एस. सं. 1105

3 .

अदालत।

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1996 का ओ. एस. सं. 3469

4 .

अदालत।

रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

बंबई उच्च न्यायालय से पहले 1998 का ओ. एस. सं. 1792

5 .

अदालत।

6 .

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 का ओ. एस. सं. 320। 1992 से पहले कंपनी याचिका संख्या 28

7 .

प्रधान पीठ, कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली।

बॉम्बे से पहले 1994 का मध्यस्थता मुकदमा सं. 5110

8 .

उच्च न्यायालय।

उपरोक्त सभी का अब कार्यवृत्त के संदर्भ में निपटारा किया जा रहा है।

द्वारा पारित कार्यवाही में शामिल सहमति आदेश

डिक्री के कार्यवृत्त के संदर्भ में तैयार किया जाएगा सहमति आदेश।

संपत्ति (64, सुंदर नगर, नई दिल्ली) के संबंध में, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के ओ. एस. नंबर <आई. डी. 1 के लिए विषय है, राम नारंग, जो अदालत में मौजूद हैं, एक बयान देते हैं।

यह वचन देते हुए कि उसे स्पष्ट रूप से हस्तांतरित किया जाएगा

और राजेश नारंग या उनके नामांकित व्यक्ति को या पर विपणन योग्य शीर्षक

31.03.2002 से पहले। इस वचन को दर्ज किया जाता है।

उपरोक्त घटनाक्रमों के आलोक में हम इसे आवश्यक समझते हैं

अवमानना के लिए राम नारंग के खिलाफ कदम वापस लेना

इसी तरह अन्य सभी अवमानना याचिकाओं को हटा दिया जाता है और आई. ए. और हस्तांतरित मामलों का निपटारा किया जाता है।

सहमति के कार्यवृत्त का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

, जो सभी सदस्यों के बीच एक पारिवारिक समझौता है

y यहाँ दलों को शामिल करते हुए:

" 1. 1994 का रमेश का सूट No.3535 [विशिष्ट प्रदर्शन के लिए]

पारिवारिक निपटान] दोनों बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित हैं

आदेश दिया जाए और तुरंत लागू किया जाए।

2. 1998 का रमेश का सूट नंबर 1105 [फैशन परिधान] उद्घाटन

बंबई उच्च न्यायालय में आदेश दिया जाना और लागू किया जाना

तुरंत; एन. आई. एच. एल. में एफ. डब्ल्यू. पी. एल. द्वारा साझा किए गए 19184 वैध हैं

27 जून 1992 को रमेश को स्थानांतरित कर दिया गया और रमेश ने

पहले से ही [2021] 1 एस. सी. आर. के संयुक्त नामों में 5194 (12 प्रतिशत) शेयरों का हस्तांतरण किया जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21 मई 1990 को राम और रमेश ने इस आदेश द्वारा निर्देश दिया

माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 4 मई 1999। यह स्पष्ट किया जाता है

और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि द्वारा 142 अतिरिक्त शेयरों का हस्तांतरण

रमेश 24 मई 1999 को राम और उनके संयुक्त नामों पर रमेश शून्य हैं और उक्त 142 शेयरों को बहाल कर दिया गया है।

रमेश का नाम। राम द्वारा शेयरों का कथित हस्तांतरण

14 मई 1999 को दिनांक 4 मई के आदेश के अनुपालन में

1999 शून्य है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि राम द्वारा स्थानांतरण

4 मई के आदेश के अनुसार रमेश को 3998 शेयरों का

1999 शून्य है और उक्त 3998 शेयरों को बहाल कर दिया गया है

मोहिनी, राम और मोना के संयुक्त नाम। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रमेश, राजेश और राकेश को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

एन. आई. एच. एल. में एफ. डब्ल्यू. पी. एल. द्वारा रखे गए 403 शेयरों का रामा को हस्तांतरण।

3. इस माननीय सर्वोच्च द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित निर्देश

उपरोक्त मामले में न्यायालय की पुनः पुष्टि की जाती है और इसके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है -

पक्ष इस प्रकार हैं:

(अ)

4 मई, 1999 से राम, रमेश और

राजेश एन. आई. एच. एल. (और इसकी सहायक कंपनियों) के एकमात्र निदेशक हैं। निदेशक मंडल में कोई भी वृद्धि राम की आपसी सहमति से होगी और

रमेश/राजेश।

निर्देशकों में से कोई नहीं (रामा, रमेश और राजेश)

(ख)

निदेशक पद से हटाया जा सकता है।

राम और रमेश संयुक्त रूप से बने रहेंगे।

((ग)

प्रबंधन।

इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा या

((घ)

रामा और रमेश (या राजेश) की लिखित सहमति के बिना उक्त कंपनी (और उसकी सहायक कंपनियों) को प्रभावित करना। यह और स्पष्ट किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि निदेशक/कार्यपालक या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति सहित कोई भी प्रचलित निर्णय तब तक जारी नहीं रहेगा जब तक कि राम और रमेश (या राजेश) लिखित रूप में इसके लिए सहमति देते हैं।

एमए नारंग बनाम। रमेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

(ई)

नकद में आने वाले सभी संग्रह जारी रहेंगे।

और सभी लेन-देन केवल चेक के रूप में किए जाएंगे और/या जैसा कि इसके बाद सहमति हो सकती है राम और रमेश (या राजेश) के बीच।

(च)

कंपनी के सभी बैंक खाते जारी रहेंगे।

तीन निदेशकों में से किन्हीं दो निदेशकों राम, रमेश और राजेश और/या राम और राजेश के बीच सहमति के अनुसार संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। रमेश (या राजेश)। यदि किसी लेन-देन की राशि रुपये से अधिक है। 10 (दस) लाख समान होंगे

राम द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक चेक के माध्यम से किया गया

और रमेश/राजेश।

(छ) कंपनी के सभी वैधानिक रिकॉर्ड [और इसके

निदेशक बैठकों और/या शेयरधारकों की बैठकों के कार्यवृत्त सहित सहायक] केवल तभी मान्य होंगे जब रामा और रमेश या राजेश द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

(एच)। पारिश्रमिक और अनुलाभ जिसके लिए राम,

रमेश और राजेश निदेशक बनने के हकदार होंगे।

4 मई 1999 से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमेय होगा और जिसे उनके बीच समान शेयरों में विभाजित/आवंटित किया जाएगा जैसा कि प्रदान किया गया है और/या जैसा कि राम और राम के बीच सहमति हो सकती है।

रमेश [या राजेश] "।

1996 का राहुल का सूट नंबर 3469 और राम का सूट नंबर 1792

1998 बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित दोनों

तराशा गया।

रमेश की कंपनी याचिका संख्या 1992 की 28 पहले से लंबित है।

कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली को वापस लिया जाएगा।

1991 का राकेश का सूट नंबर 320 [जो राम का हिस्सा है]

आर. यू. पी.] से समझौता किया जाएगा और निम्नानुसार लागू किया जाएगाः

“ ए। रामा एन. आई. एच. एल. में 5410 शेयरों को एकल को हस्तांतरित करेंगे।

राकेश का नाम।

बी। रामा समूह सहमत होता है और राकेश को [2021] 1 एस. सी. आर. की तीसरी मंजिल पर उनके आवासीय आवास को बहाल करने का कार्य करता है।

40, पाली हिल, बांद्रा, बॉम्बे में बंगला और उसके द्वारा आवश्यक सभी परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिए सहमति। उसमें "।

उपरोक्त पर विचार करते हुए राकेश इसके साथ सहमत हैं और

पारिवारिक समझौते की पुष्टि करने और उसे लागू करने का कार्य करता है और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी कार्य, कार्य और चीजें करता है।

सहित;

" ए। नारंग में राकेश द्वारा रखे गए 1000 इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण करें

राजेश को ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड।

बी। यूनाइटेड कॉर्पोरेशन की फर्म में भागीदार के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की पुष्टि करें और मध्यस्थता के लिए संदर्भित अपने दावों को वापस लें

1994 के मध्यस्थता वाद सं. 5110 में।

सी। बुल वर्कर प्राइवेट लिमिटेड के पूरे उपक्रम को एफ. डब्ल्यू. पी. एल. से मनु समूह को हस्तांतरित करने के लिए सहमति।
डी। एन. आई. एच. एल. के स्वामित्व वाले मारोल, सहर, बॉम्बे में लगभग 45105.70 वर्ग मीटर से लेकर

मनु समूह।

ई. 64, सुंदर नगर, नई दिल्ली में संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा राजेश को सौंपने की सहमति।

7. उपरोक्त सब राम समूह द्वारा पहले किया जाना है।

8. इस माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाने वाला मामला 08.01.2002 . "

निदेशकों की संख्या केवल एक ओर राम नारंग और दूसरी ओर रमेश और राजेश की आपसी सहमति से ली जानी थी। समझौते में यह भी प्रावधान किया गया कि किसी भी निदेशक यानी राम नारंग, रमेश नारंग और राजेश नारंग को निदेशक पद से नहीं हटाया जा सकता है। रामा नारंग और रमेश नारंग एन. आई. एच. एल. के संयुक्त प्रबंधन और नियंत्रण में बने रहे और राजेश नारंग को जारी रखा गया। एन.

आई. एच. एल. के दिन-प्रतिदिन के संचालन और प्रबंधन का पूर्णकालिक निदेशक प्रभारी होना। इसने यह भी प्रावधान किया कि कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा रामा नारंग V.

उक्त एन. आई. एच. एल. और उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में, की सहमति के बिना एक तरफ राम नारंग और दूसरी तरफ रमेश/राजेश। यह भी प्रावधान किया गया है कि कंपनी के सभी बैंक खातों को रामा नारंग और रमेश/राजेश के बीच सहमति के अनुसार तीन निदेशकों में से किसी भी दो द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इसने आगे प्रावधान किया कि यदि किसी लेनदेन की राशि रुपये से अधिक थी। 10 लाख, तो वही केवल एक तरफ राम नारंग और दूसरी तरफ रमेश या राजेश द्वारा संयुक्त रूप से गाए गए चेक के माध्यम से किया जा सकता था।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि मामला दोनों के बीच सुलझा लिया गया था।

इस न्यायालय द्वारा पारित 12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 के आदेशों में दर्ज सहमति आदेश के कार्यवृत्त के संदर्भ में, पक्षों के बीच विवाद में कोई शांति नहीं थी। राम नारंग ने आरोप लगाया कि रमेश और राजेश ने सहमति की शर्तों का उल्लंघन किया था

सहमति आदेश के कार्यवृत्त के खंड 3 (सी), (डी), (ई) और (एफ) में निर्धारित आदेश ने अवमानना याचिका दायर की जिसे अवमानना याचिका (सी) कहा जाता है।

अवमानना याचिका (ग) सं. 2003 में सं. 148। 265-67 1998 की अवमानना याचिका (सी) No.209 में 1998 की सीए संख्या 366 में। यह याचिकाकर्ता राम नारंग का मामला था कि रमेश और राजेश द्वारा सहमति आदेश का उल्लंघन स्पष्ट रूप से आदेश की अवज्ञा के बराबर था।

12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 के आदेश और इस प्रकार न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय। इस न्यायालय ने 15 सितंबर 2003 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इस न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. ए. मोहता से भी मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया था।

पक्षों के बीच विवादों का निपटान। हालांकि, गंभीर होने के बावजूद विद्वान मध्यस्थ द्वारा किए गए प्रयासों से समझौता नहीं हो सका

में।

8. उपरोक्त अवमानना याचिका की स्थिरता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी। प्रत्यर्थियों रमेश और राजेश के अनुसार, न्यायालय को दिए गए किसी भी वचन के अभाव में, यह न्यायालय केवल सहमति आदेश की शर्तों के उल्लंघन पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया था कि 12 दिसंबर 2001 के आदेश को 8 जनवरी 2002 के आदेश में मिला दिया गया था और उन्होंने उक्त आदेश को लागू कर दिया था। राम नारंग बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। रमेश नारंग और अन्य 1 ने रखरखाव के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवमानना याचिका। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" 33. वर्तमान मामले में, सहमति की शर्तें बीच में आ गई हैं।

द्वारा पारित आदेशों में पक्षों को शामिल किया गया था

12-12-2001 [रमेश नारंग (1) v. राम नारंग,

(2009) 16 एस. सी. सी. 631] और 8-1-2002 [रमेश नारंग]

(2) वी. राम नारंग (2009) 16 एस. सी. सी. 600]। फरमान के रूप में

तैयार किए गए क्रम से पता चलता है कि दिनांक 8-1-2002 [रमेश नारंग]

(2) वी. राम नारंग, (2009) 16 एस. सी. सी. 600] को समय पर होना था।

सभी संबंधित लोगों द्वारा देखा गया और निष्पादित किया गया। ए.

सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन न्यायालय के दिनांक 12-12-2001 [रमेश] के आदेशों का उल्लंघन होगा।

नारंग (1) v. राम नारंग, (2009) 16 एस. सी. सी. 631] और 8-1

2002 [रमेश नारंग (2) बनाम। राम नारंग, (2009) 16 एस. सी. सी. 600] और इसलिए, के पहले अंग के तहत दंडनीय होगा

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी)। सवाल यह है कि क्या उत्तरदाताओं को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए

बाबू में परिलक्षित कानून में किसी भी पहले के भ्रम के कारण

राम गुप्ता मामला [(1980) 3 एस. सी. सी 47: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527]

एक प्रश्न जिसे निपटाते समय निर्णय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

गुण-दोष पर अवमानना याचिका। यह एक के रूप में तर्क दिया जा सकता है

एक बार जब उत्तरदाताओं को अवमानना का दोषी ठहराया जाता है तो कारक को बढ़ाना या कम करना। प्रस्तुतिकरण से संबंधित नहीं है

गैर के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति अवमानना के लिए याचिका की स्थिरता, कारणों से है

कहा, खारिज कर दिया।"

9. प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज किए जाने के बाद, उपरोक्त अवमानना याचिका पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई।

गुण। खंड 3 (ग) के उल्लंघन के संबंध में उत्तरदाताओं के खिलाफ मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:

(क) कि उच्च मूल्य के अनुबंध जारी करके निष्पादित किए गए थे

रुपये के मूल्य के तहत कई चेक। 10 हालांकि, अनुबंध की राशि लाखों रुपये से कहीं अधिक थी। यह इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था कि दस लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए, चेक को संयुक्त रूप से देना पड़ता था।

एक तरफ राम नारंग और दूसरी तरफ रमेश या

दूसरी ओर राजेश; रामा नारंग बनाम।

रमेश नारंग और अन्य

[बी. आर. गवई, जे.]

प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

(ख)

कंपनी को रोक दिया गया था और इस तरह कंपनी को राम के पूर्ण बहिष्कार के लिए प्रबंधित किया गया था;

((ग)

ट्रेड यूनियन के साथ समझौता एकतरफा रूप से किया गया था

प्रत्यर्थियों और याचिकाकर्ता को केवल बढ़े हुए वेतन चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अस्वीकार कर दिया था

क्योंकि उनसे सलाह नहीं ली गई थी; और

((घ)

वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में निर्णय और इस तरह, स्पष्ट रूप से उल्लंघन में काम किया था खंड 3 (घ)।

10. प्रत्यर्थियों ने उक्त अवमानना का जवाब दाखिल किया था

याचिका। प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता सहमति की शर्तों के कथित तकनीकी उल्लंघन से अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा था; जो भी पक्षों की आपसी समझ के विपरीत सहमति की शर्तों की व्याख्या पर आधारित था। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता वीटो शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करके कंपनी के कामकाज को रोकने का प्रयास कर रहा था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह पार्टियों का इरादा कभी नहीं था कि याचिकाकर्ता को कंपनी के लेन-देन पर वीटो शक्ति का आनंद लेना चाहिए, जिसका मूल्य उससे अधिक है।

रु. 10 लाख और एक गतिरोध पैदा करें। 11. हालाँकि, अदालत को प्रस्तुतियों का समर्थन नहीं मिला। प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया और प्रत्यर्थी के तर्क को अस्वीकार करते हुए,

इस न्यायालय ने अपने 15 मार्च 2007 के निर्णय और आदेश में राम नारंग (वी) बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। रमेश नारंग और अन्य 2 ने इस प्रकार कहा:

" 32. सहमति की शर्तों में प्रवेश करने का उद्देश्य और संयुक्त रूप से

वचन पत्र दाखिल करना पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए था

एक परिवार के रूप में सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से

व्यवसाय लेकिन उत्तरदाताओं ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया था

कंपनी एन. आई. एच. एल. याचिकाकर्ता के पूर्ण बहिष्कार के लिए। प्रबंधन को प्रभावित करने वाले सभी निर्णय और अन्य निर्णय

कंपनी को प्रतिवादी राजेश नारंग ने ले लिया,

दिन-प्रतिदिन की आड़ में पूर्णकालिक निदेशक

सहमति शर्तों के खंड 3 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए संचालन/प्रबंधन जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राम नारंग और

रमेश नारंग संयुक्त प्रबंधन में बने रहेंगे और

नियंत्रण करें। पक्षकारों ने न्यायालय को इस संबंध में वचन दिया सहमति की शर्तें।

33. उत्तरदाताओं ने गलती से प्रस्तुत किया है कि संयुक्त कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण का अर्थ है वीटो देना।

याचिकाकर्ता को शक्ति। उपक्रम की शर्तों के अनुसार

याचिकाकर्ता और उत्तरदाता एक दायित्व के तहत थे

एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से कंपनी को चलाने के लिए लेकिन दुर्भाग्य से उत्तरदाताओं

के कुल बहिष्कार पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया है

याचिकाकर्ता। यह उपक्रम की शर्तों के विपरीत है।

इस न्यायालय को दिया गया। "

12. इस न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम के 2 (बी) के तहत वर्तमान प्रतिवादियों को दोषी ठहराते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" 52. हमने द्वारा दिए गए वचन का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है

न्यायालय के पक्षकार और इस न्यायालय के दिनांकित आदेश 12-12

2001 [रमेश नारंग (1) v. राम नारंग, (2009) 16 एस. सी. सी. 631] और 8-1-2002 [रमेश नारंग (2) बनाम। राम नारंग, (2009) 16 एस. सी. सी. 600] इस न्यायालय को दिए गए पक्षों के वचन और अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार उत्तरदाता स्पष्ट रूप से हैं जानबूझकर और जानबूझकर अदालत की अवमानना करने का दोषी

उनके द्वारा इस न्यायालय को दिए गए वचन की अवज्ञा। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय के आदेशों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उत्तरदाताओं को उचित प्राप्त करना चाहिए।

जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दंड।

53. नतीजतन, हम उत्तरदाताओं को धारा 2 (बी) के तहत दोषी ठहराते हैं।

अदालतों की अवमानना अधिनियम और उन्हें एक सरल सजा दो महीने की अवधि के लिए कारावास। हम आगे एक सप्ताह के भीतर उनमें से प्रत्येक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक महीने के लिए और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

13. उक्त निर्णय के पैरा (54) को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा।

इस न्यायालय द्वारा राम नारंग (वी) 3 (ऊपर) दिनांक 15 एच 2007 में पारित आदेश:

" 54. हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि तुरंत भेजना

जेल में प्रत्यर्थी कंपनी में पूरी तरह से अराजकता पैदा करेंगे

9) 16 एस. सी. सी. 126 रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

जो बड़ी संख्या के हितों को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा

कंपनी के कर्मचारियों सहित लोगों के लिए। इसलिए,

उत्तरदाताओं को स्थगन में रखा जाता है। हम पक्षों को आगे निर्देश देते हैं उनके द्वारा दिए गए उपक्रमों का सावधानीपूर्वक पालन करना।

इस अदालत में। उपक्रमों के समान उल्लंघन के मामले में इस न्यायालय को न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, जिसमें

उस घटना में, उत्तरदाताओं को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा

इस मामले में लगाई गई सजा की तामील करें।

14. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को अभिनिर्धारित किया

अवमानना का दोषी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं को तुरंत जेल भेजने से कंपनी में पूरी तरह से अराजकता पैदा होगी और यह बड़ी संख्या में लोगों के हितों को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

लोग।

कंपनी के कर्मचारियों सहित, प्रत्यर्थियों पर लगाए गए कारावास की सजा को स्थगित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने आगे पक्षकारों को उनके द्वारा न्यायालय को दिए गए वचन का सावधानीपूर्वक पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि यदि इस न्यायालय को दिए गए वचन के समान उल्लंघन को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो प्रत्यर्थियों को उक्त मामले में दी गई सजा काटने के लिए तुरंत जेल भेजा जाएगा।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच विवाद न केवल

जारी रखा लेकिन उग्र हो गया। यह तर्क देते हुए कि रामा द्वारा असहयोग के कारण, कंपनी का कामकाज ठप हो गया था, रमेश ने कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली (इसके बाद 'सी. एल. बी.' के रूप में संदर्भित) के समक्ष 2008 की कंपनी याचिका दायर की। उक्त कंपनी की याचिका में यह तर्क दिया गया था कि चेक पर हस्ताक्षर करने में रामा द्वारा असहयोग के कारण कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका नवंबर 2007 के बाद से। यह भी तर्क दिया गया कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा सका, जिसके कारण, पूरे

कंपनी की विभिन्न इकाइयों का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। 14 मार्च 2008 को सी. एल. बी. ने एन. आई. एच. एल. के निदेशक मंडल की बैठक 24 मार्च 2008 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सुबह 11.00 पर आयोजित करने का निर्देश दिया। तीनों निदेशकों में से प्रत्येक को उन वस्तुओं की एक सूची, जिन पर वे बैठक में चर्चा करना चाहते थे, 18 मार्च 2008 तक निदेशकों को प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया था। सी. एल. बी. ने श्री सी. आर.

दास, पर्यवेक्षक के रूप में सी. एल. बी. के पूर्व सदस्य, उक्त बैठक की कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे। उक्त कार्यवाही में रमेश ने सीए No.194 [2021] 1 एस. सी. आर. भी दायर किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20 मार्च 2008 को 2008 का, जिसमें इंगित किया गया है कि भुगतान न करने के कारण दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 के महीनों के वेतन/मजदूरी के लिए, कंपनी की दिल्ली फ्लाइट कैटरिंग यूनिट में लगभग दो सौ श्रमिकों ने काम बंद कर दिया था और विरोध और आंदोलन शुरू कर दिया था।

16. जब मामला 7 अप्रैल 2008 को सी. एल. बी. के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था,

सी. एल. बी. ने पाया कि हालांकि बोर्ड की लगातार दो तारीखों पर पूरी तरह से पंद्रह घंटे तक बैठक हुई, लेकिन प्रत्येक के अपने-अपने विचारों/राय को देखते हुए एक भी निर्णय नहीं लिया गया था। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट से सी. एल. बी. ने पाया कि तीनों निदेशकों ने एक कठोर रुख अपनाया था जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण गतिरोध पैदा हो गया था। सीएलबी ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398 के तहत कार्यवाही में यह कंपनी का हित था, जो सर्वोपरि था। सी. एल. बी. ने देखा कि निदेशकों के बीच मतभेदों के कारण, वेतन/मजदूरी का भुगतान, आपूर्तिकर्ता को भुगतान आदि जैसे कई परिचालन मुद्दे लंबित थे, जिससे कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया और आपूर्ति में अनियमितताएं हुईं। सीएलबी ने इसे पाया

उचित है कि जब तक याचिका का निपटारा कंपनी और 3000 से अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों के हित में एक अंतरिम उपाय के रूप में नहीं किया जाता है, तब तक एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा कंपनी का दिन-प्रतिदिन का संचालन किया जाए।

द.

कंपनी बिना किसी अड़चन के चलती रही। सी. एल. बी. ने इस प्रकार 10 अप्रैल 2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" 8. तदनुसार, जैसा कि मैंने सुनवाई के दौरान संकेत दिया था, मैं नियुक्त करता हूं

श्री न्यायमूर्ति अरविंद वी. सावंत, केरल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय, जिसने अपनी सहमति दी है, सहायक के रूप में (मोबाइल नं.)। सहायक के रूप में, वह लाने की कोशिश करेगा

उन मामलों पर निदेशकों के बीच सहमति के बारे में जो हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और आवश्यक है कि कंपनी का व्यवसाय

सुचारू रूप से चलाया जाता है और यदि आम सहमति संभव नहीं है, तीन निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने

एक अंतिम निर्णय लेगा जो बाध्यकारी होगा निदेशक और कंपनी। मैं यह बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि

उनकी भूमिका केवल संचालन संबंधी मामलों जैसे मुद्दों तक ही सीमित होगी। सभी श्रेणियों के श्रमिकों/कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे

आपूर्तिकर्ताओं/आपूर्ति अनुबंधों, उपकरणों की तत्काल मरम्मत के लिए

आदि। ये केवल उदाहरण हैं। यह उसकी क्षमता के भीतर होगा।

इस आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना कि व्यवसाय याचिका आने तक कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए।

निपटाया जाता है, जो तत्काल/आवश्यक परिचालन संबंधी मुद्दे हैं।

रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

17. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सी. एल. बी. द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2008 को पारित आदेश, इस न्यायालय के दिनांक 15 मार्च 2007 के आदेश का उल्लंघन है और उनके अवमानना के आचरण को वैध बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान अवमानना याचिका द्वारा इस न्यायालय का विरोध किया।

18. कार्यवाहियों के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि 15 मई 2008 को इस न्यायालय ने पक्षों के वकील को सुना था और आदेश को खारिज कर दिया था। अवमानना याचिका इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थीफरवरी 2009 और उक्त तिथि पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित किया:

" हमने 27.01.2009 दिनांकित आदेश का अवलोकन किया है।

15 दिसंबर, 2008 को इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना और आदेश सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले कि यह न्यायालय आदेश सुना सके, 2008 का आई. ए. नंबर 1 प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया था जिसमें 15 दिसंबर, 2008 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। उक्त आई. ए. में पैरा संख्या 2 में जो शामिल किया गया है, उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" विधिवत निर्देश दिए गए थे कि माननीय न्यायालय से गुण-दोष के आधार पर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया जाए।

15.12.2008 पर, श्री नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो मामले में पेश हो रहे हैं, व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। ताकि दूसरे को असुविधा न हो

पक्ष और इस माननीय न्यायालय, एक अन्य विद्वान वरिष्ठ वकील को मामले में बहस करने के लिए जानकारी दी गई थी। उस दिन आपके प्रभुओं को यह देखकर खुशी हुई कि श्री नरीमन के मामले में

किसी अन्य दिन उपलब्ध होने पर, आपके स्वामी विचार कर सकते हैं

मामले को एक या दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और श्री नरीमन की उपलब्धता मांगी गई। हालाँकि, अफसोस की बात है कि एक गलत धारणा पर, एक बयान बिना दिए दिया गया था

श्री नरीमन से परामर्श करते हुए कि वे जनवरी, 2009 तक उपलब्ध नहीं होंगे। न्याय के हित में, हम 15 दिसंबर, 2008 के आदेश को वापस लेना उचित समझते हैं। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

इस मामले को शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009 को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. इसके बाद यह मामला 9 अप्रैल 2009 को इस अदालत के समक्ष आया। 9 अप्रैल 2009 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि इस न्यायालय ने एक प्रश्न पर पाया कि पिछले एक दशक से कंपनी ने आयकर अधिनियम के तहत अपना विवरणी दाखिल नहीं किया है। इसने यह भी पाया कि लेखा पुस्तकें तैयार नहीं की गई थीं और/या उनका लेखा-परीक्षण नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि कंपनी पंजीयक के समक्ष आवश्यक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए गए थे। न्यायालय ने देखा कि किसी भी अधिकारी ने

राजस्व के साथ-साथ श्रमिकों के हित ने पहले कदम के रूप में मेसर्स K.P.M.G. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को पुस्तकों को सत्यापित करने के बाद वित्तीय खाते तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना खातों पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। द चार्टर्ड लेखाकार को दोनों पक्षों से परामर्श करने का भी निर्देश दिया गया। इस मामले को 13 जुलाई 2009 को रखने का निर्देश दिया गया था।

20. 13 जुलाई 2009 को फिर से इस न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। उसके अवलोकन से पता चलता है कि न्यायालय ने कुलसचिव को निर्देश दिया

कम्पनियों और मुख्य आयकर आयुक्त को कार्यवाही में शामिल किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मुख्य आयकर आयुक्त से यह भी जानना चाहेगा कि क्या कार्रवाई की गई है।

आय कर अधिनियम के तहत बकाया के संबंध में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। न्यायालय यह भी जानना चाहता था कि सभी वर्षों से मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया है, विशेष रूप से जब कंपनी द्वारा विवरणी/लेखा दाखिल नहीं किया गया है। इस न्यायालय द्वारा इस मामले को 21 जुलाई 2009 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। 21 जुलाई 2009 को न्यायालय ने मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया। कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं करने के लिए कंपनी पंजीयक द्वारा अदालत में माफी मांगी गई थी। अदालत ने दर्ज किया कि इन दोनों अधिकारियों ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। न्यायालय ने यह भी देखा कि वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के अलावा, लेखा पुस्तकों ने

कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। इसलिए न्यायालय ने सदन को व्यवस्थित करने के लिए और विशेष रूप से 3000 श्रमिकों के साथ-साथ सरकारी खजाने के हित को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। जिसे कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को देखना था और कंपनी के खातों की स्थिति और रामा नारंग v के वैधानिक प्रावधानों के उचित अनुपालन पर समय-समय पर इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

21. हालाँकि, इस न्यायालय ने 21 जुलाई 2009 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह श्री अरविंद के कामकाज के रास्ते में नहीं आएगा। सावंत, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सी. एल. बी. द्वारा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया।

22. इसके बाद अवमानना याचिका 29 जुलाई 2009 को इस न्यायालय के समक्ष आई। उक्त तिथि पर पारित एक आदेश द्वारा, यह न्यायालय

श्री रानीना ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया और आगे स्पष्ट किया कि यह केवल अनुपालन के संदर्भ में ही सीमित रहेगा

कंपनी अधिनियम के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधान। उक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मेसर्स बीएसआर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के खातों को तैयार करने और ऑडिट करने का निर्देश दिया और कहा कि इसका कार्य फैसिलिटेटर के कामकाज के साथ ओवरलैप नहीं होगा, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र था। अदालत ने आगे पाया कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं और इसलिए, श्री रानीना द्वारा किए जाने वाले कार्यों का खाका तैयार किया गया है, जिन्हें 21 जुलाई 2009 के आदेश के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। संक्षेप में निर्देश इस प्रकार हैं:

((i)

श्री रानीना सभी दलों की एक अनौपचारिक बैठक बुलाएंगी।

मेसर्स बी. एस. आर. एंड कंपनी सहित संबंधित पक्षों और उक्त बैठक में श्री रानीना को केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य करना था, न कि कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में।

((ख)

संबंधित कागजातों को देखने के बाद, श्री रानीना एक और बैठक बुलाने के लिए जिसमें उन्हें कंपनी में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में शामिल होने के तरीके का सुझाव देना था

निर्देशक। यह और स्पष्ट किया गया कि श्री रानीना पर मुकदमा नहीं चलाया जाना था, जिसे अदालत ने 21 जुलाई 2009 के अपने पहले के आदेश में कंपनियों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निदेशकों के खिलाफ कंपनी पंजीयक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिया था।

(iii)

बी. एस. आर. एंड कंपनी को खातों को अद्यतन और ऑडिट करना था। कंपनी से। यदि बी. एस. आर. एंड कंपनी को कोई बाधा मिलती है, तो उन्हें श्री रानीना को सूचित करना था, जो बदले में, पहली बार में खुद समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे।

और यदि नहीं, तो इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iv) बी. एस. आर. एंड कंपनी समय-समय पर श्री रानीना को खातों की स्थिति पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। यदि श्री रानीना को इसमें कोई बाधा या कठिनाई मिलती है

न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुए, वह श्री पराग त्रिपाठी के माध्यम से इस न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

23. इसके बाद यह मामला 14 तारीख को इस अदालत के समक्ष आया।

दिसंबर 2009। इस न्यायालय ने कहा कि कंपनी के खातों का 31 मार्च 2006 तक विधिवत लेखा-परीक्षण किया गया था, जबकि सहायक कंपनियों के खातों का 31 मार्च 2009 तक लेखा-परीक्षण किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि उस तारीख तक कंपनी अधिनियम की धारा 212 के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। न्यायालय ने कंपनी पंजीयक के समक्ष लेखा दाखिल करने का समय 31 जनवरी, 2010 तक बढ़ा दिया। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यवाही अगले आदेश तक लंबित रहेगी।

24. इसी आदेश से अदालत ने समय-समय पर श्री रानीना को सलाह देने के लिए होटल प्रबंधन के विशेषज्ञ श्री हबीब रहमान को नियुक्त किया। इसने आगे निर्देश दिया कि निदेशकों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, श्री हबीब रहमान के परामर्श से श्री एच. पी. रानीना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और निदेशक मंडल के लिए बाध्यकारी होगा। इसके बाद यह मामला 16 अप्रैल 2010 को इस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उक्त में

अदालत ने कहा कि 8 फरवरी 2010 के अपने आदेश के अनुसार, कंपनी पंजीयक ने 26 मार्च 2010 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह पाया गया कि कंपनी द्वारा बनाए गए निदेशकों का रजिस्टर 1990 की अवधि के दौरान बोर्ड या कंपनी द्वारा पारित न्यायालय के आदेशों/प्रस्तावों के अनुरूप नहीं था। इसलिए अदालत ने श्री एच. पी. रानीना को उक्त निदेशक रजिस्टर को अद्यतन करने और इसे बोर्ड द्वारा पारित न्यायालय के आदेशों और प्रस्तावों के अनुरूप लाने के लिए अधिकृत किया। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षों के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पारित किया गया था।

25. इसके बाद, यह मामला 3 मई 2010 को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उक्त तिथि के आदेश से, न्यायालय ने श्री सैयद हबीबुर रहमान को रामा नारंग बनाम के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

होटल और उड़ान रसोईघर दिन-प्रतिदिन के आधार पर। मेसर्स जे. जी. वर्मा एंड कंपनी को कंपनी के कर लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। मेसर्स बी. एस. आर. एंड कंपनी का स्थान। यह स्पष्ट किया गया कि श्री हबीबुर रहमान को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वैधानिक प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद, यह मामला 6 अगस्त 2010 को इस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उक्त तिथि पर आदेश द्वारा, न्यायालय ने पहले की कार्यवाही पर ध्यान दिया और कहा कि हालांकि कई कदम उठाए गए थे; उस दिन भी, पिता और बेटों के बीच पारिवारिक विवादों के कारण खातों पर हस्ताक्षर लंबित रहे। न्यायालय ने देखा कि दिन के अंत में यह स्थिति बनी रही कि कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान नहीं थे

इसका अनुपालन किया गया और खातों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इसलिए न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, 37 वें न्यायालय को निर्देश दिया,

मुंबई, सुनवाई में तेजी लाने और अंत में उनके समक्ष लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए। न्यायालय ने उक्त आदेश द्वारा श्री एच. पी. रानीना और श्री सैयद हबीबुर रहमान की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

26. सी. एल. बी. के समक्ष समानांतर कार्यवाही में, रामा नारंग ने 2008 की कंपनी याचिका संख्या 47 में 2011 का कंपनी आवेदन No.57 दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता और सी. एल. बी. के समक्ष प्रतिवादी के साथ मिलीभगत के आधार पर सहायक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद वी. सावंत को आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने इसमें कोई सार नहीं पाया

श्री राम नारंग द्वारा लगाए गए आरोप और इसलिए, रुपये की अनुकरणीय लागत लागू करके उक्त सीए को खारिज कर दिया। 1,00,000 / . 22 फरवरी 2011 के आदेश के पैराग्राफ (7) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 7.इसलिए मैं पुरस्कार देते समय सीए 57/2011 को खारिज करता हूं।

रुपये की अनुकरणीय लागत। आर-2 के मुकाबले एक लाख। इस प्रकार दी गई लागत आर-2 द्वारा आज से एक सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। सुविधा प्रदाता अब वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए एक तारीख तय करने के लिए आगे बढ़ेगा। और दिनांकित 10.04.2008,12.10.2010 और 22.11.2010 आदेश में निहित निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए भी और दिनांकित आदेश में मेरे द्वारा निर्देशित स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए भी।

6.1.2011 . "

27. अभिलेखसँ ई आओर प्रतीत होइत अछि जे राजेश-प्रतिवादी सं. 2, जे पूर्णकालिक निदेशक छलाह, 2008 क लंबित कंपनी याचिका सं. 47 मे सीएलबीक समक्ष 2011 क कंपनी आवेदन सं. 1 दाखिल कयलनि। आवेदन में आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया था कि [2021] 1 एस. सी. आर.

प्रतिवादी अर्थात याचिकाकर्ता के असहयोगी रवैये के कारण कंपनी का पूरा कामकाज ठप हो गया था। यह भी कहा गया कि राम कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में बाधा डालने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। कंपनी और उसके कर्मचारियों के हित में कुछ आवश्यक निर्देश मांगे गए थे। 28 अप्रैल 2011 को सी. एल. बी. ने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" आर-2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आवेदक के स्थान के बारे में उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करते हुए और आर-1 कंपनी के सुचारू संचालन में आर-2 द्वारा पूर्ण, बार-बार, लगातार और जानबूझकर गैर-सहयोग पर विचार करते हुए और कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए मैं सीए नंबर 223/2011 में अनुरोध के अनुसार राहत प्रदान करना उचित समझता हूं और आदेश देता हूं कि सी. पी. No.47/08 की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित है और इसके अलावा सी. पी. No.47/08 में पहले से ही दिए गए निर्देशों के अलावा, कार्यसूची में किसी भी मद पर बोर्ड की बैठक में निदेशकों के बीच विवाद/असहमति की स्थिति में।

सुविधा प्रदाता द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो निदेशक मंडल और कंपनी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

आर-1 को सुचारू रूप से चलाने के सर्वोपरि उद्देश्य के साथ सुविधा प्रदाता को किसी भी निदेशक के बीच असहमति या इनकार या बोर्ड की अनुमति लेने में असमर्थता के मामले में चेक/कार्यवृत्त और वैधानिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। निर्णय लें। किसी भी चेक/कार्यवृत्त/वैधानिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले सहायक असहमत निदेशक/निदेशक से सहमत नहीं होने या सहमति देने वाले निदेशक/निदेशक से सहमत नहीं होने के कारणों को दर्ज करेगा।

एस "।

सी. एल. बी. की सूचना, कि सुविधा प्रदाता सुचारू रूप से काम करने और काम करने में सक्षम नहीं था और इसलिए, 29 नवंबर 2011 के आदेश के अनुसार, सी. एल. बी. ने एक अस्थायी उपाय के रूप में, श्री एच. एस. आचार्य को विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया। पहले से नियुक्त सहायक के अलावा अधिकारी-सह-सलाहकार। सी. एल. बी. ने आगे निर्देश दिया कि चूंकि वर्तमान सहायक ने 28वें रामा नारंग बनाम के आदेश के अनुसार दी गई अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करने से अपने हाथों को रोक दिया है।

अप्रैल 2011 में, श्री आचार्य अगले आदेश तक उक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे।

29. इसके बाद, 30 अप्रैल 2015 के एक आदेश द्वारा, सी. एल. बी. ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" 16. इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, मैं श्री एच. पी. रानीना को सहायक सह सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूं।

एच. एस. आचार्य प्रशासक सह सलाहकार के रूप में। श्री रानीना को सी. एल. बी. द्वारा श्री आचार्य को दिए गए अधिकारों के साथ सहायक सह सलाहकार के रूप में कार्य करना होता है जब उन्हें बनाया गया था।

सहायक सह सलाहकार के रूप में। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री रानीना

जब श्री को प्रदत्त शक्तियों से परे नहीं जाएगा।

आचार्य को सीएलबी द्वारा दिनांकित आदेशों के माध्यम से नियुक्त किया गया था। 29.11.2011 , आर 1 कंपनी कंपनी लॉ बोर्ड से पूर्व अनुमति के बिना उड़ान खानपान इकाइयों को बंद नहीं करेगी।"

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त आदेश द्वारा सी. एल. बी. ने श्री एच. एस. आचार्य के स्थान पर श्री एच. पी. रानीना को सहायक-सह-सलाहकार नियुक्त किया। श्री आचार्य के पास एक सहायक-सह-सलाहकार के रूप में सभी शक्तियां थीं।

30. इस न्यायालय के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अवमानना याचिका को इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष विभिन्न तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया था। 15 मार्च 2016 को, इस अदालत ने पाया कि कंपनी का व्यवसाय ठप हो गया था और इसलिए, यह अस्थायी विचार था कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए निगमित कार्य विभाग को जांच करने का निर्देश दिया गया।

कंपनी के मामलों की जांच करें और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 19 अप्रैल 2016 को, इस न्यायालय ने कॉर्पोरेट मामलों के विभाग को आवश्यक जांच करने और 15 मार्च 2016 के आदेश के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए और आठ सप्ताह का समय दिया। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पक्षकारों के लिए मामले को निपटाने और शर्तों का उल्लेख करने के लिए खुला रहेगा

इस न्यायालय के समक्ष निपटान का। 19 जुलाई 2016 को, इस न्यायालय ने कंपनी पंजीयक, महाराष्ट्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट दोनों पक्षों के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसने आगे कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो अगली तारीख को न्यायालय कंपनी के मामलों को चलाने के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड/समिति नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ेगा जब तक कि निदेशकों के बीच

वर्तमान गतिरोध का उचित समाधान नहीं हो जाता। 16 अगस्त 2016 को, अदालत ने अवमानना याचिका को नवंबर [2021] 1 एस. सी. आर. के महीने में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

2016. इसने आगे आदेश दिया कि संबंधित पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कंपनी के मामलों को चलाने के लिए वर्तमान व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। 29 नवंबर 2016 को मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया गया था।

31. अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि इस बीच एन. आई. एच. एल. के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई थी।

30 अप्रैल 2019। बैठक के कार्यवृत्त से, यह प्रतीत होता है कि निदेशक मंडल के समक्ष चर्चा के लिए जो विषय सामने आए, उनमें से एक 40 पाली हिल, बांद्रा पश्चिम, मुंबई (इसके बाद 'बांद्रा संपत्ति' के रूप में संदर्भित) में कंपनियों की संपत्ति की बिक्री के संबंध में था ताकि वित्तीय संकट से निपटा जा सके। बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि उसमें कहा गया है कि बांद्रा संपत्ति केवल कंपनी की गैर-व्यावसायिक संपत्ति थी। यह आगे है बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया कि यदि धन उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके परिणामस्वरूप कंपनी का उड़ान खान-पान व्यवसाय बंद हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 3000 से अधिक लोग अपनी आजीविका खो देंगे और साथ ही गंभीर वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना करेंगे। उक्त बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि बांद्रा संपत्ति की बिक्री पर रु। 351 मेवरिक रियल्टी एंड डेवलपर्स एलएलपी से एक करोड़ रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं। में।

उक्त बैठक में, याचिकाकर्ता से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ सहायक द्वारा भी पूछा गया था कि क्या याचिकाकर्ता के पास वित्तीय संकट से निपटने के लिए कोई अन्य सुझाव हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने निर्देशों के तहत कोई भी सुझाव देने से इनकार कर दिया। सुविधा प्रदाता की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:

" यह हल किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और किसी भी अन्य लागू नियमों, विनियमों, कानूनों, परिपत्रों के अनुसार, कंपनी 2,530 (दो हजार पांच सौ तीस) वर्ग मीटर की भूमि वाली संपत्ति/गैर-व्यावसायिक संपत्ति में अपना अधिकार, स्वामित्व और ब्याज बेचती है या

40 पाली हिल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई सी. टी. एस. नंबर 1345/46/47 48 पर स्थित बंगले के साथ-साथ मेवेरिक रियल्टी एंड डेवलपर्स एल. एल. पी. को

Rs.351,00,00,000/- (केवल तीन सौ इक्यावन करोड़ रुपये) स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क को छोड़कर

और उक्त संपत्ति के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे के आधार पर लागू करों को उक्त खरीदार को उपलब्ध कराया जा रहा है, रामा नारंग v.

रमेश नारंग और अन्य

[बी. आर. गवई, जे.]

और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो सकती है

मेवरिक रियल्टी एंड डेवलपर्स एलएलपी और कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री रमेश नारंग के बीच।

आगे हल किया कि श्री रमेश नारंग, संयुक्त

कंपनी के प्रबंध निदेशक होंगे और होंगे

निष्पादित करने, हस्ताक्षर करने, पंजीकृत करने, संशोधित करने, आवश्यक निश्चित समझौतों, दस्तावेजों, कागजातों, विलेखों, पत्रों, लेखन, प्रपत्रों आदि के लिए अधिकृत और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए जो हो सके उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी।

32. उक्त प्रस्तावों के अनुसार, याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त संपत्ति को खाली करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ परिसर खाली नहीं किया था, इसलिए 2019 का आई. ए. No.87565 दायर किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके परिवार के सदस्यों के साथ उक्त संपत्ति खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई। उक्त आई. ए. को इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष भी सूचीबद्ध किया गया। हालाँकि, मामला समय-समय पर स्थगित होने लगा। आई. ए. के साथ-साथ अवमानना याचिका 4 दिसंबर 2020 को हमारे समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। उस पर

उक्त तिथि पर, हमने पक्षों के विद्वान वकील को सूचित किया कि हम मुख्य अवमानना याचिका के साथ-साथ निर्देश के लिए आई. ए. को भी एक साथ सुनेंगे। तदनुसार, हमने मुख्य अवमानना याचिका पर पक्षों के विद्वान वकील के साथ-साथ 10 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 को आई. ए. को विस्तार से निर्देश देने के लिए सुना है।

33. वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें शुरू कीं। विद्वान वरिष्ठ

वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 को पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के साथ संयुक्त रूप से एन. आई. एच. एल. के मामलों को चलाने की आवश्यकता थी। हालाँकि, वे कंपनी के मामलों को पूरी तरह से वर्तमान याचिकाकर्ता के बहिष्कार के लिए चला रहे थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने राम नारंग (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि वर्तमान प्रतिवादियों के खिलाफ वर्तमान याचिकाकर्ता के कहने पर अवमानना याचिका बहुत अधिक मान्य थी। उन्होंने आगे कहा कि

प्रस्तुत किया कि केवल यही नहीं, बल्कि राम नारंग (वी) 3 (उपरोक्त) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए कार्य किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि

4 (2006) 11 एससीसी 114 5 (2009) 16 एससीसी 126 [2021] 1 एस. सी. आर.

उत्तरदाताओं को वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ संयुक्त रूप से एन. आई. एच. एल. के मामलों को चलाने की आवश्यकता थी, यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया था न्यायालय के आदेश और याचिकाकर्ता के बहिष्कार के लिए पूरी तरह से व्यवसाय चला रहे थे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान कार्यवाही में जिन कृत्यों को अवमाननापूर्ण प्रकृति का बताया गया है, वे उन कृत्यों के समान हैं जो पाए गए हैं

15 मार्च 2007 के इस न्यायालय के फैसले में अवमानना। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, 15 मार्च 2007 के बाद भी उत्तरदाताओं द्वारा इसी तरह के कार्य जारी रखे गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 15 मार्च 2007 के अपने फैसले में इस न्यायालय के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उसमें दर्ज कारणों के लिए, वर्तमान उत्तरदाता हैं -

इस न्यायालय की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराए जाने और कानून के अनुसार दंडित किए जाने की आवश्यकता है।

34. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर निर्देशों के लिए आवेदन के संबंध में, श्री जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि इस तरह का आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में मान्य नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, सी. एल. बी. के पास अपने द्वारा पारित प्रकृति का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मुहर वाले पक्षों के बीच समझौता हुआ था, तो प्रतिवादी शुरू नहीं कर सकते थे

सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही की स्थिरता के संबंध में आपत्ति ली थी

सी. एल. बी. और सी. एल. बी. के समक्ष, स्थायित्व के संबंध में मुद्दे को तय किए बिना, अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. एल. बी. द्वारा पारित आदेशों पर उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई निर्भरता उनके मामले में कोई सहायता नहीं है।

उनके तीन भाई थे-मनु, राम और रोहित। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच समझौते की शर्तें 3 जुलाई 1997 को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि समझौते से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही इस न्यायालय तक पहुंच गई थी। इस न्यायालय ने 4 मई 1999 के आदेश के माध्यम से, न्यायमूर्ति धनुका के आदेश की अवमानना करने वाले राम-याचिकाकर्ता के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोढ़ा (जो उस समय उनके स्वामी थे) से एक रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि

रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने 2 नवंबर के आदेश के माध्यम से रामा नारंग बनाम.

2001 , वर्तमान याचिकाकर्ता को अवमानना के लिए दोषी ठहराया। हालाँकि, पक्षों के बीच बाद के समझौते को देखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने वाले आदेश को वापस ले लिया गया।

36. श्री सिब्बल ने कहा कि पक्षों के बीच पारिवारिक समझौता दो भागों में होता है। उन्होंने कहा कि पहला भाग रमेश नारंग द्वारा दायर विभिन्न मुकदमों के संबंध में है जिन्हें वापस ले लिया गया था और

इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया और इस न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि समझौते का दूसरा भाग कंपनी के प्रबंधन के संबंध में था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता का आचरण कंपनी के कामकाज में असहयोग के कारण था। याचिकाकर्ता, हर स्तर पर, बाधा डालने का प्रयास कर रहा था ताकि कंपनी का कामकाज रुक जाए। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, हालांकि याचिकाकर्ता को सहयोग करने की आवश्यकता थी, याचिकाकर्ता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए कहा।

कंपनी के मामलों में, उत्तरदाताओं को कंपनी के हित में कुछ काम करने की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उत्तरदाताओं ने वह नहीं किया था जो उन्होंने किया था, तो इसका पूरा व्यवसाय

कंपनी इस प्रकार एक ठहराव पर आ जाती, जिससे 3000 व्यक्तियों की आजीविका से वंचित हो जाती और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न वित्तीय और वैधानिक देनदारियों के अलावा कंपनी बंद हो जाती।

37. श्री सिब्बल ने कहा कि हालांकि कंपनी के मामलों के संबंध में एक समझौता हुआ था, लेकिन मामलों को होना आवश्यक था

वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित और समझौते के बावजूद, वैधानिक शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक निदेशक के पास कंपनी के कल्याण के लिए कार्य करने की एक प्रत्ययी जिम्मेदारी है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसलिए प्रस्तुत किया कि वर्तमान से

याचिकाकर्ता कंपनी के कल्याण के लिए कार्य करने में विफल रहा, उत्तरदाताओं के पास कंपनी के सुचारू संचालन के लिए कुछ निर्देशों की मांग करते हुए सी. एल. बी. से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राम नारंग (वी) (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले से पहले ही अवमानना के लिए दोषी पाए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने सुचारू रूप से काम करने के लिए निर्देश लेने के लिए सक्षम वैधानिक निकाय से संपर्क किया कंपनी और उसके 3000 कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने कहा कि सहायक की नियुक्ति का आदेश न केवल 10 अप्रैल 2008 से जारी रहा, बल्कि इस न्यायालय ने कई मौकों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएलबी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था

सुविधा प्रदाता की नियुक्ति। इसके विपरीत, 16 अगस्त 2016 के आदेश द्वारा [2021] 1 एस. सी. आर.

इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इसे चलाने के लिए वर्तमान व्यवस्था कंपनी के कार्य संबंधित पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अगले आदेश तक जारी रहेंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता सी. एल. बी. द्वारा पारित आदेश से व्यथित था, तो उसके लिए उपलब्ध उपाय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती देना था। उस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहने के कारण, याचिकाकर्ता के लिए अब यह तर्क देना संभव नहीं है कि उक्त आदेशों को लागू नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने 2008 के बाद से सहायक की सहमति के बिना एक भी निर्णय नहीं लिया है।

38. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि कंपनी का कोई निदेशक नहीं है

कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति पर उसका स्वामित्व अधिकार है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 31 दिसंबर 2001 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन, जो इस न्यायालय के समक्ष दायर सहमति की शर्तों और 12 दिसंबर 2001 के इस न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आयोजित किया गया था, साथ ही 1 जनवरी 2002 को बुलाई गई असाधारण आम बैठक के लिए नोटिस के व्याख्यात्मक बयान से भी स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि राम नारंग और रमेश नारंग को 31 दिसंबर 2001 को यहां आवासीय आवास प्रदान किया गया था।

कंपनी की बांद्रा संपत्ति, कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी क्षमता में थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि कोई भी निदेशक कंपनी की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है।

39. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि 2008 के बाद से, प्रतिवादी सी. एल. बी. द्वारा पारित आदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं, जो वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए एक सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए थे, उन्हें किसी भी कल्पना के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

इस न्यायालय की अवमानना करने के लिए दोषी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा पारित अंतरिम आदेश भी पक्षों पर तब तक बाध्यकारी हैं जब तक वे मैदान में हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील तैयबभाई एम. बागसरवाला और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। हिंद रबर

उक्त प्रस्ताव के समर्थन में इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य।

40. श्री सिब्बल ने कहा कि जहां तक प्रत्यर्थियों के आवेदन का संबंध है, कंपनी को बंद होने के आसन्न खतरे से बचाने के लिए, जिससे 3000 श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो और वैधानिक और वित्तीय नतीजों से भी, यह आवश्यक था कि यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है और अवमानना याचिकाकर्ता को सुविधा प्रदाता के निर्णय का पालन करने का निर्देश देता है। उस पर भरोसा किया

6 (1997) 3 एस. सी. सी. 443 रामा नारंग बनाम।

विजय लक्ष्मी और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। प्रभु देवी और अन्य और भारतीय स्टेट बैंक बनाम। इस प्रस्ताव के समर्थन में अजीत जैन और अन्य।

41. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अखिल सिब्बल ने इसके पूरक के रूप में कहा

अवमानना याचिका/निर्देश के लिए आवेदन में आवेदकों की ओर से तर्क। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा एकतरफा रूप से श्रम अनुबंध करने, कार्यकारियों को वेतन वृद्धि देने, उपकरणों की खरीद के अनुबंध आदि के संबंध में लगाए गए आरोपों का संबंध है, कंपनी को चालू रखने के लिए उत्तरदाताओं को कंपनी नियमावली के अनुसार सितंबर 2007 और मार्च 2008 के बीच कई निर्णय लेने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि एक समय पर मजदूर हड़ताल पर चले गए थे और अवमानना याचिकाकर्ता कंपनी के मामलों को चलाने में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कुछ आकस्मिक निर्णय लिए गए थे। लेकिन उन सभी

फैसिलिटेटर द्वारा निर्णयों की पुष्टि की गई है और इसलिए, उत्तरदाताओं को अवमानना का दोषी ठहराने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

42. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने प्रत्युत्तर में अपनी दलीलें दीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामला केवल एक अवमानना याचिका थी और प्रतिवादियों द्वारा दायर निर्देशों के लिए आई. ए. कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी सक्षम अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था

अवमानना याचिकाकर्ता को परिसर खाली करने के लिए। न ही किसी प्राधिकरण ने पाली हिल में परिसर खाली करने के संबंध में निदेशक मंडल के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुविधा प्रदाता ने

इस न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय ने पहले श्री एच. पी. रानीना और श्री सैयद हबीबुर रहमान को नियुक्त किया था, लेकिन इस न्यायालय ने स्वयं 6 अगस्त 2010 के आदेश के माध्यम से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 2010 के बाद कोई भी सहायक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि तथाकथित सहायक की नियुक्ति न केवल अधिकार क्षेत्र के बिना है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर 2001 और 8 जनवरी 2002 को पारित आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्देश के लिए आवेदन को संक्षेप में खारिज करने की आवश्यकता है।

43. श्री रोहतगी ने दोहराया कि राम नारंग मामले में इस अदालत के फैसले से जो गतिविधियाँ अवमाननापूर्ण पाई गईं

7 (2017) 11 एससीसी 169 8 3 1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 683 [2021] 1 एस. सी. आर.

(V) (उपर्युक्त), इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद भी जारी रखा गया है, उत्तरदाताओं को इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाना चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया: विनय चंद्र मिश्रा (कथित समकालीन) 1 0.

44. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि कंपनी के मामलों में भी पारिवारिक समझौतों को अलग तरीके से निपटाने की आवश्यकता है। उन्होंने संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ और अन्य बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। शांतादेवी पी. गायकवाड़ (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से और काले और अन्य बनाम। के उप निदेशक

समेकन और अन्य 1 2.

45. जैसा कि प्रारंभिक पैराग्राफ में ही संकेत दिया गया है, हालांकि शुरू में केवल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर एक अंतर्वर्ती आवेदन के लिए याचिकाकर्ता को सुविधा प्रदाता के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया गया था

सूचीबद्ध, हमने पक्षों को सूचित किया कि हम अवमानना याचिका के साथ-साथ अंतर्वर्ती आवेदन को भी एक साथ सुनेंगे। इस प्रकार, हमने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अवमानना याचिका के साथ-साथ अंतर्वर्ती आवेदन (2019 का आई. ए. संख्या 87565) दोनों पर पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है।

46. हमारा विचार है कि पहले अवमानना याचिका पर ही निर्णय लेना उचित है, क्योंकि

अवमानना याचिका का असर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन पर पड़ेगा। 47. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। .....

(ख) "दीवानी अवमानना" का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या किसी न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।"

48. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी कार्रवाई को नागरिक अवमानना के दायरे में लाने के लिए किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करनी होगी। डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया या जानबूझकर उल्लंघन

9 (2009) 16 एससीसी 126 10 (1995) 2 एस. सी. सी. 584

11 (2005) 11 एस. सी. सी. 314

12 (1976) 3 एस. सी. सी. 119 रामा नारंग बनाम।

न्यायालय को दिए गए वचन का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री रोहतगी राम नारंग के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करना उचित है

(V) (ऊपर) 15 मार्च 2007 को तय किया गया। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वचन की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से कंपनी चलाने के लिए बाध्य थे, लेकिन दुर्भाग्य से, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को पूरी तरह से बाहर करने पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह इस न्यायालय को दिए गए वचन की शर्तों के विपरीत था। श्री रोहतगी का कहना है कि जिन कृत्यों के संबंध में वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है, वे प्रत्यर्थियों के कृत्यों के समान हैं, जिसके लिए उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया था। उनके अनुसार, वर्तमान उत्तरदाताओं को भी उन कृत्यों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए जिनके संबंध में वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है।

49. हमें उक्त निवेदन की शुद्धता पर विचार करना होगा। इसके लिए उन घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो घटित हुई हैं।

राम नारंग (वी) 1,3 (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय की तारीख के बाद अर्थात 15 मार्च 2007।

50. यह उत्तरदाताओं का मामला है कि याचिकाकर्ता कंपनी के कामकाज को रोकने के लिए वीटो के रूप में सहमति की शर्तों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। यह उनका मामला है कि याचिकाकर्ता हर संभव प्रयास कर रहा था

कंपनी के कामकाज को बाधित करना संभव है। यह उत्तरदाताओं का भी मामला है कि उक्त कार्य दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे। यह उनका मामला है कि याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी का बेटा रोहित नारंग स्काई गॉरमेट के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहा है।

कैटरिंग प्रा. लिमिटेड, जो कंपनी एन. आई. एच. एल. के उड़ान खान-पान व्यवसाय के साथ एक प्रत्यक्ष प्रतियोगी है। यह उनका मामला है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कंपनी के उचित कामकाज के लिए कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को 2008 की कंपनी याचिका संख्या 47 द्वारा सी. एल. बी. से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था। उक्त याचिका 10 मार्च 2008 को दायर की गई थी। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि 15 मार्च 2007 को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, उत्तरदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वास्तविक प्रयास किए गए थे कि वर्तमान याचिकाकर्ता को कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण से बहिष्कार के संबंध में कोई और शिकायत न हो। यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा कंपनी के कामकाज में असहयोग और बाधा डालने का रवैया उसके बाद भी जारी रहा। यह तय किया गया था,

कि याचिकाकर्ता राम अनुचित रूप से अपनी सहमति को रोक रहे थे

कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण नियमित निर्णय। यह अनुमान लगाया गया था कि स्थिति पूरी तरह से प्रबंधन गतिरोध का कारण बनी थी। यह था।

51. प्रतिवादी संख्या 1 रमेश द्वारा दायर उक्त याचिका पर सी. एल. बी. के अध्यक्ष द्वारा 7 अप्रैल 2008 को सुनवाई की गई। यह आदेश 10 तारीख को विद्वान सभापति द्वारा उक्त कार्यवाही में पारित किया गया था

अप्रैल 2008। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता रामा ने उक्त कार्यवाही की स्थिरता के संबंध में आपत्ति जताई थी। आदेश के पैराग्राफ (8) से पता चलता है कि सी. एल. बी. के अध्यक्ष ने केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अरविंद वी. सावंत को सहायक के रूप में नियुक्त किया था। सहायक को उन मामलों पर निदेशकों के बीच आम सहमति लाने का प्रयास करना था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और आवश्यक थे कि कंपनी का व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है। उक्त आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि तीनों के विचारों पर विचार करने के बाद आम सहमति नहीं बनी तो

निदेशक, सहायक अंतिम निर्णय लेंगे, जो निदेशकों और कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुविधा प्रदाता की भूमिका केवल सभी श्रेणियों के श्रमिकों/कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों, आपूर्तिकर्ताओं/आपूर्ति अनुबंधों से संबंधित मुद्दों, उपकरणों की तत्काल मरम्मत आदि जैसे परिचालन मामलों तक सीमित थी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है,

कि आदेश की भावना यह थी कि याचिका का निपटारा होने तक कंपनी का व्यवसाय सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। सी. एल. बी. द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान अवमानना याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही दायर करना और सी. एल. बी. द्वारा उसी पर विचार करना अवमानना है। प्रकृति में। रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान कार्यवाही में सी. एल. बी. द्वारा 2008 के आई. ए. नंबर 1 के रूप में पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था।

52. जब मामला 21 जुलाई 2009 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय का विचार था कि 3000 श्रमिकों के साथ-साथ सरकारी खजाने के हित को ध्यान में रखते हुए, संविधान, इस न्यायालय को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए, जो रामा नारंग बनाम।

कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को देखें और कंपनी के खातों की स्थिति पर समय-समय पर इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

और कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उचित अनुपालन। उनसे भविष्य में वित्तीय प्रबंधन सहित अच्छे निगमित प्रशासन के लिए कदम उठाने का सुझाव देने का भी अनुरोध किया गया। द.

इसलिए न्यायालय ने श्री होमी रानीना, जो एक कर विशेषज्ञ हैं, को कंपनी का एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। हालाँकि, उक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद सावंत को सी. एल. बी. द्वारा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश सहायक के कामकाज के रास्ते में नहीं आएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने श्री रानीना से केवल कंपनी अधिनियम के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया था और यह कार्य सुविधा प्रदाता के कामकाज के साथ ओवरलैप नहीं होगा, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र था। इस न्यायालय के आदेश से दो निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहले, न्यायालय ने कंपनी के कुशल प्रबंधन और बड़ी संख्या में लोगों के हितों को प्रभावित करने वाले पक्षों के निरंतर विरोधाभासी रवैये को मान्यता दी।

हितधारक और एक सहायक नियुक्त करके गतिरोध की स्थिति को शांत करने की आवश्यकता। इस प्रकार, इस न्यायालय ने न केवल एक सहायक की नियुक्ति में सी. एल. बी. के आदेश को अस्वीकार कर दिया, बल्कि एक से अधिक अवसरों पर कहा कि उसके द्वारा पारित आदेश सहायक के कामकाज के रास्ते में नहीं आएंगे। वास्तव में, याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका में आई. ए. के माध्यम से सहायक की नियुक्ति के संबंध में सक्षम न्यायिक मंच के आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

53. 29 जुलाई 2009 को यह मामला फिर से इस अदालत के समक्ष आया। उक्त आदेश में न्यायालय ने मेसर्स बीएसआर एंड कंपनी, चार्टर्ड को निर्देश दिया

लेखाकारों को कंपनी के खातों को अद्यतन और ऑडिट करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उसने 21 जुलाई 2009 के आदेश के अनुसार श्री होमी रानीना को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। चूंकि विभिन्न

श्री रानीना द्वारा लिया गया। पुनः उक्त आदेश में न्यायालय ने कहा कि सी. एल. बी. ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद सावंत को नियुक्त किया है। केरल उच्च न्यायालय सहायक के रूप में। अदालत ने कहा कि उस तारीख को उसके द्वारा पारित आदेश केवल कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और आयकर के प्रावधानों के अनुपालन तक ही सीमित था।

एक्ट करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री रानीना के साथ-साथ मेसर्स बी. एस. आर. एंड कंपनी को सौंपा गया काम [2021] 1 एस. सी. आर. के काम के साथ ओवरलैप नहीं होगा।

सुविधा प्रदाता। इसने आगे कहा कि वास्तव में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश सुविधा प्रदाता की मदद करेंगे।

54. 14 दिसंबर 2009 के एक अन्य आदेश के माध्यम से, अदालत ने श्री हबीब रहमान को समय-समय पर श्री रानीना का मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो श्री रानीना को उचित लगे। इसने यह भी प्रावधान किया कि निदेशकों के बीच विवाद/असहमति की स्थिति में, श्री हबीब रहमान के परामर्श से सलाहकार श्री रानीना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और निदेशक मंडल के लिए बाध्यकारी होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता रामा के वकील की ओर से दिए गए बयानों को नोट किया, कि वह खातों के नोटों पर हस्ताक्षर करेगा,

दिनांक 14 दिसंबर 2009। इसने यह भी स्पष्ट किया कि 14 दिसंबर 2009 के उक्त आदेश को राम द्वारा लंबित मुकदमे में अपने अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लागू किया जाना था। 55. रिकॉर्ड से आगे यह पता चलता है कि 2011 का कंपनी आवेदन संख्या 223 प्रत्यर्थी संख्या 2-राजेश द्वारा सी. एल. बी. के समक्ष दायर किया गया था।

2008 की कंपनी याचिका संख्या 47 में। 28 अप्रैल 2011 के आदेश के माध्यम से, सी. एल. बी. ने आवेदक राजेश (प्रतिवादी संख्या 2) के स्थान के बारे में राम के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया। सी. एल. बी. ने पूर्ण, बार-बार, लगातार और जानबूझकर विचार करने के बाद

कंपनी के सुचारू संचालन में राम द्वारा सहयोग, कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए, 2011 के कंपनी आवेदन संख्या 223 में अनुरोध के अनुसार राहत प्रदान करना उचित समझा गया और निर्देश दिया कि 2008 की कंपनी याचिका संख्या 47 में पहले से ही दिए गए निर्देशों के अलावा, कार्यसूची पर किसी भी वस्तु पर बोर्ड की बैठक में निदेशकों के बीच विवाद/असहमति की स्थिति में,

सुविधा प्रदाता द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो निदेशक मंडल और कंपनी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। कंपनी के सुचारू संचालन के सर्वोपरि उद्देश्य के साथ, किसी भी निदेशक द्वारा असहमति या इनकार या बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में असमर्थता के मामले में सुविधा प्रदाता को चेक/कार्यवृत्त और वैधानिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था। इसने आगे निर्देश दिया कि किसी भी चेक पर हस्ताक्षर करने से पहले / कार्यवृत्त/वैधानिक अभिलेख, सहायक असहमत निदेशकों के साथ सहमत नहीं होने या सहमति देने वाले निदेशकों के साथ सहमत नहीं होने के कारणों को दर्ज करेगा।

56. 6 अगस्त 2010 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने पाया कि अपने विभिन्न प्रयासों के बावजूद, स्थिति अपरिवर्तित रही। यह प्रासंगिक होगा।

न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना:

" हालाँकि कई कदम उठाए गए थे, लेकिन आज भी पिता और पुत्रों के बीच पारिवारिक विवादों के कारण खातों पर हस्ताक्षर करना लंबित है। दिन के अंत में, स्थिति बनी हुई है कि कंपनियों के कुछ प्रावधान

अधिनियम का पालन नहीं किया गया और खाते बने रहे

हस्ताक्षर किए बिना और इसलिए, हमारे पास निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, 37 वां न्यायालय,

मुंबई, सुनवाई में तेजी लाने और अंत में निपटाने के लिए

उसके सामने लंबित मामले "।

उक्त आदेश के माध्यम से, न्यायालय ने श्री रानीना और श्री सैयद हबीबुर रहमान की सेवाओं को समाप्त कर दिया। सी. एल. बी. ने 29 तारीख के आदेश के अनुसार

नवंबर 2011 में, श्री आचार्य को विशेष अधिकारी-सह-सलाहकार नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल 2015 के एक अन्य आदेश के अनुसार, श्री आचार्य को बदल दिया गया।

श्री रानीना सहायक-सह-सलाहकार के रूप में।

57. यह ध्यान देने योग्य होगा कि इस बीच, कंपनी आवेदन संख्या 2011 का 57 याचिकाकर्ता रामा द्वारा कंपनी में दायर किया गया था।

2008 की याचिका संख्या 47, सुविधा प्रदाता श्री न्यायमूर्ति अरविंद सावंत के निष्कासन के लिए प्रार्थना करती है। सी. एल. बी. ने पाया कि याचिकाकर्ता रामा कर रही थी फैसिलिटेटर को किसी तरह काम करने से रोकने का प्रयास करें। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता रामा ने सहायक के खिलाफ बेतुके, अपमानजनक और आधारहीन आरोप लगाए थे। इसलिए, 22 फरवरी 2011 के आदेश के अनुसार, आवेदन को रुपये की अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। 1 एक लाख।

58. जब 16 अगस्त 2016 को इस अदालत के समक्ष अवमानना याचिका सूचीबद्ध की गई थी, तो इस अदालत ने अवमानना याचिका को नवंबर 2016 के महीने में मंगलवार को अंतिम निपटान के लिए रखने का निर्देश दिया। यह न्यायालय

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कंपनी के मामलों को चलाने के लिए वर्तमान व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद

मामला 29 नवंबर 2016 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब इस न्यायालय ने मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, यह मामला इस पीठ के समक्ष आया है जिसका संदर्भ पहले के अनुच्छेदों में पहले ही दिया जा चुका है।

59. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, यह प्रासंगिक होगा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397,398 और 403 के बारे में:

" 397. विश्वास के लिए न्यायाधिकरण के लिए आवेदन

संभावना के कारण

(1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है कि मामले कंपनी का संचालन प्रतिकूल तरीके से किया जा रहा है

लोक हित में या किसी सदस्य के लिए दमनकारी तरीके से या

सदस्य (स्वयं में से कोई एक या अधिक सहित) आवेदन कर सकते हैं।

इस धारा के तहत एक आदेश के लिए न्यायाधिकरण को, इस तरह प्रदान किया गया

सदस्यों को धारा 399 के आधार पर आवेदन करने का अधिकार है।

(2) यदि, उप-धारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर, न्यायाधिकरण

राय है

लोक हित के लिए प्रतिकूल या एक तरीके से किसी भी सदस्य या सदस्यों के लिए दमनकारी; और

(ख) कंपनी को बंद करने से अनुचित रूप से पूर्वाग्रह होगा

ऐसे सदस्य या सदस्य, लेकिन अन्यथा तथ्य

पर एक समापन आदेश बनाने को उचित ठहराएगा

इस आधार पर कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत था कि कंपनी

समाप्त किया जाना चाहिए; न्यायाधिकरण, एक दृष्टिकोण के साथ शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना, ऐसा करना

जैसा उचित लगे ऑर्डर करें।

398. राहत के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन

गलत प्रबंधन के कारण (1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है

-

((a) कि कंपनी के कार्य संचालित किए जा रहे हैं

लोक हित के लिए प्रतिकूल या एक तरीके से

कंपनी के हितों के लिए हानिकारक; या

(ख) कि एक भौतिक परिवर्तन (परिवर्तन नहीं होने के कारण लाया गया)

सहित किसी भी लेनदार के बारे में या उसके हितों में

डिबेंचर धारक, या शेयरधारकों का कोई भी वर्ग,

कंपनी) प्रबंधन या नियंत्रण में हुई है

कंपनी का, चाहे उसके निदेशक मंडल में परिवर्तन द्वारा निदेशक
2 [* * *] या प्रबंधक 3 [* * *] या स्वामित्व में

कंपनी के शेयरों का, या यदि उसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है, तो उसके रामा नारंग v में।

सदस्यता, या किसी अन्य तरीके से जो भी हो, और वह इस तरह के परिवर्तन के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के मामलों को प्रतिकूल तरीके से संचालित किया जाएगा

लोक हित या कंपनी के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से; एक आदेश के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।

इस धारा के तहत, बशर्ते ऐसे सदस्यों को धारा 399 के आधार पर आवेदन करने का अधिकार हो।

(2) यदि, उप-धारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर, न्यायाधिकरण

राय है कि कंपनी के मामलों को किया जा रहा है कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में उपरोक्त किसी भी भौतिक परिवर्तन के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के कार्य उपरोक्त के रूप में संचालित किए जाएंगे, न्यायाधिकरण, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने या रोकने की दृष्टि से

या गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे। 403. ट्राइब्यूनल द्वारा आंतरिक आदेश निर्माण लंबित है

न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 397 या 398 के अधीन अंतिम आदेश के द्वारा, किसी भी पक्ष के आवेदन पर - कार्यवाही, कोई भी अंतरिम आदेश दे जो वह कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित समझता है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो उसे न्यायसंगत और न्यायसंगत लगते हैं।

60. धारा 397 के अवलोकन से पता चलेगा कि कंपनी का कोई सदस्य सी. एल. बी. में यह शिकायत करने के लिए आवेदन करने का हकदार है कि कंपनी के कार्य सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल तरीके से या किसी भी सदस्य या सदस्यों के लिए दमनकारी तरीके से किए जा रहे थे, जिसमें कोई भी व्यक्ति या स्वयं से अधिक शामिल थे, उक्त धारा के तहत एक आदेश के लिए। द.

एकमात्र शर्त यह है कि ऐसे सदस्य को धारा 399 के आधार पर ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। धारा 397 की उप-धारा (2) के तहत, यदि सी. एल. बी. की राय थी कि कंपनी के कार्य जनहित के प्रतिकूल या किसी सदस्य या सदस्य के लिए दमनकारी तरीके से किए जा रहे हैं और कंपनी को बंद करने से ऐसे सदस्य या सदस्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्य इस आधार पर समापन आदेश देने को उचित ठहराएंगे कि कंपनी को समाप्त करना न्यायसंगत और न्यायसंगत था; वह शिकायत किए गए ऐसे मामले को समाप्त करने की दृष्टि से ऐसा आदेश देने का हकदार था जो वह उचित समझे।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कंपनी का कोई भी सदस्य सी. एल. बी. को आवेदन करने का हकदार है कि वह [2021] 1 एस. सी. आर. के मामलों की शिकायत करे।

कंपनी का संचालन सार्वजनिक हित के प्रतिकूल या कंपनी के हित के प्रतिकूल तरीके से किया जा रहा है और सी. एल. बी. को शिकायत किए गए मामले को समाप्त करने की दृष्टि से ऐसा आदेश देने का अधिकार है जो वह उचित समझे। 61. धारा 398 में निहित इसी तरह का प्रावधान कंपनी के सदस्यों को यह शिकायत करने में सक्षम बनाता है कि कंपनी के कार्य सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल या कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से किए जा रहे हैं। यह एक सदस्य को भी सक्षम बनाता है।

कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में हुए भौतिक परिवर्तन के संबंध में शिकायत करने के लिए और इस तरह के परिवर्तन के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के कार्य सार्वजनिक हित या कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित किए जाएंगे। पुनः, एकमात्र शर्त यह है कि ऐसे सदस्य को धारा 399 के आधार पर आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए। धारा 398 की उप-धारा (2) के अवलोकन से आगे पता चलेगा कि यदि ऐसा आवेदन धारा 398 की उप-धारा (1) के तहत किया गया था और यदि सी. एल. बी. की राय थी कि कंपनी के कार्य उपरोक्त के अनुसार किए जा रहे हैं, तो न्यायाधिकरण, शिकायत किए गए या पकड़े गए मामले को समाप्त करने या रोकने की दृष्टि से, ऐसे आदेश देने का हकदार हो सकता है जो वह उचित समझे।

62. धारा 403 के अवलोकन से पता चलता है कि सी. एल. बी. को कोई भी अंतरिम आदेश देने का भी अधिकार है जो उसके द्वारा अंतिम आदेश दिए जाने तक लंबित है।

धारा 397 या 398 के तहत आदेश, कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष के आवेदन पर, जो आदेश देता है कि वह कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित समझता है। ऐसा आदेश ऐसे नियमों और शर्तों पर दिया जाना चाहिए जो सी. एल. बी. को न्यायसंगत और न्यायसंगत लगते हैं। 63. प्रत्यर्थियों ने कंपनी अधिनियम की धारा 397,398 और 403 के तहत उपरोक्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र को वैध रूप से लागू किया था, जिसके लिए वे कानूनी रूप से हकदार थे और किसी भी सक्षम न्यायालय/मंच द्वारा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं थे।

64. सी. एल. बी. ने कंपनी याचिका में 10 अप्रैल 2008 के आदेश के माध्यम से

2008 के सं. 47 में पाया गया कि कंपनी के हित में एक सहायक नियुक्त करना आवश्यक था। उक्त आदेश पारित होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान अवमानना याचिका दायर की है। उक्त अवमानना याचिका के साथ, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश पर रोक लगाने के लिए 2008 का आई. ए. नंबर 1 भी दायर किया है। एक बाद का आवेदन, जो 2008 का आई. ए. नंबर 2 था, याचिकाकर्ता रामा द्वारा भी दायर किया गया था, जिसमें सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही और सुविधा प्रदाता द्वारा पारित संचार/निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

हालाँकि, अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त आई. ए. पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके विपरीत, अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने 21 जुलाई 2009 के आदेश के माध्यम से, हालांकि नियुक्त किया था श्री होमी रानीना, एक कर विशेषज्ञ, एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में, वैधानिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यह नोट किया कि केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद सावंत को सी. एल. बी. द्वारा एक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश सहायक के कामकाज के रास्ते में नहीं आएगा। 29 जुलाई 2009 के एक अन्य आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने आदेश को समाप्त करने से पहले विभिन्न निर्देश जारी करते हुए फिर से उल्लेख किया कि सीएलबी ने केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद सावंत को नियुक्त किया था

अदालत ने एक सहायक के रूप में और स्पष्ट किया कि उसके द्वारा पारित आदेश में श्री रानीना को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और मैसर्स बी. एस. आर.

65. 28 अप्रैल 2011 के एक अन्य आदेश के अनुसार, सी. एल. बी. ने कुछ निर्देश जारी किए जिससे सुविधा प्रदाता को अतिरिक्त शक्तियां दी गईं। पक्षों के बीच असहमति के मामले में चेक/कार्यवृत्त और वैधानिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इस न्यायालय ने 16 अगस्त 2016 के आदेश के माध्यम से इस प्रकार टिप्पणी की:

" संबंधित पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कंपनी के मामलों को चलाने के लिए वर्तमान व्यवस्था

अगले आदेश तक जारी रहेगा।

66. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों ने धारा 397,398 के तहत सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए वैध रूप से संपर्क किया था।

और कंपनी अधिनियम की धारा 403। विद्वान सी. एल. बी. ने कंपनी अधिनियम की धारा 403 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किए थे। याचिकाकर्ता ने 10 अप्रैल 2008 के आदेश के तुरंत बाद इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे सी. एल. बी. द्वारा वर्तमान अवमानना याचिका के माध्यम से पारित किया गया था। अवमानना याचिका के साथ, 2008 का आई. ए. नंबर 1 सी. एल. बी. द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए भी दायर किया गया था। इसके बाद, 2008 का एक अन्य आई. ए. नंबर 2 भी दायर किया गया था जिसमें सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही और सुविधा प्रदाता द्वारा पारित संचार/निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालाँकि, उक्त आई. ए. पर इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

67. यह याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क है कि

सी. एल. बी. की अधिकारिता और सी. एल. बी. द्वारा उक्त कार्यवाही का मनोरंजन करना स्वयं अवमानना के बराबर है। 68. प्रताप सिंह और अन्य v के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। गुरबख्श सिंह "। यह

उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" इन सभी मामलों के पीछे सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई जो वह किसी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने के अपने अधिकार के अनुसरण में करता है या केवल अपने कार्यों के लिए संशोधन करने के लिए दूसरे से मांग करता है, वह न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं होगी, भले ही इसके लिए दूसरे पक्ष की ओर से कुछ कार्रवाई की आवश्यकता हो।

एक पक्ष के रूप में अपनी न्यायिक कार्यवाही के साथ संबंध है

अपने कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई जो वह कानूनी कार्रवाई करने के अपने अधिकार के अनुसरण में करता है।

कानून की अदालत, न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं होगी, भले ही इसके लिए दूसरे पक्ष की ओर से अपनी न्यायिक कार्यवाही के संबंध में कुछ कार्रवाई की आवश्यकता हो। सिद्धांत यह है कि एक पक्ष अपने कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस अदालत ने

ऋषिकेश सान्याल बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी। ए. पी. बागची 1 और राधे लाल बनाम ", कि कोई व्यक्ति अदालत की अवमानना नहीं करता है यदि कुछ कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, वह अपने लिए खुली अन्य न्यायिक कार्यवाहियों का सहारा लेता है, भले ही बाद की कार्यवाहियों से दूसरे पक्ष को नुकसान हो। 69. वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी सी. एल. बी. की धारा 397,398 और 403 के तहत सी. एल. बी. की अधिकारिता का आह्वान करने के हकदार थे।

कंपनी अधिनियम। सी. एल. बी. ने 10 अप्रैल 2008 को एक सहायक की नियुक्ति का आदेश पारित किया और 28 अप्रैल 2011 को आदेश पारित किया, जिसमें सहायक की शक्तियों को बढ़ाया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2009 और 29 जुलाई 2009 को पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि इस न्यायालय ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की थी, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतंत्र निदेशक का कार्य इस मार्ग में नहीं आएगा -

14 1962 एससीआर सप। (2) 838

15 आई. एल. आर. 1940 ऑल 710

16 एयर 1941 ऑल 95 रामा नारंग बनाम।

सुविधा प्रदाता की कार्यप्रणाली। इसके विपरीत, 29 जुलाई 2009 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री रानीना की नियुक्ति सी. एल. बी. द्वारा नियुक्त सहायक के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगी।

70. मेहर रूसी दलाल (श्रीमती) बनाम में इस न्यायालय के एक कथन का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। टी. के. बनर्जी और अन्य 1 7:

" 2. हमारे विचार में, प्रत्येक पक्ष को अपने अधिकारों के निर्णय के लिए अदालत का रुख करने का अधिकार है। केवल कानून की अदालत में कार्यवाही दायर करना और कानून की अदालत में आवेदन करना कि भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लंघन नहीं होगा।

उपक्रम। इसलिए, हम अवमानना के लिए दंडित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया जाएगा। वहाँ

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

71. इस प्रकार, केवल उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध वैधानिक उपचार का सहारा लेना, हमारे विचार में, अवमानना के बराबर नहीं होगा। राम नारंग (वी) 1 8 (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रखी गई निर्भरता के संबंध में, हमारा विचार है कि यह याचिकाकर्ता के मामले में सहायता का विषय नहीं होगा, क्योंकि उस स्तर पर, सी. एल. बी. द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को दोषी ठहराते हुए आदेश पारित किए जाने के बाद और उसके बाद यह पाया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता कंपनी के मामलों को चलाने में उत्तरदाताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि इसके विपरीत कंपनी के कामकाज को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

सी. एल. बी. कंपनी अधिनियम की धारा 397,398 और 403 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके। उत्तरदाताओं को कंपनी और उसके हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों में उस उपाय का सहारा लेना पड़ा। यह व्यक्तिगत राहत लेने के लिए सख्त अर्थों में उपाय नहीं था, निजी पक्षों के बीच विवाद में दर्ज निपटान की शर्तों को विफल करने के लिए बहुत कम था जो संयोग से उसी के निदेशक हैं।

कंपनी।

72. सी. एल. बी. के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दायर कंपनी याचिका और सी. एल. बी. द्वारा पारित 10 अप्रैल 2008 के आदेश का अवलोकन

यह प्रकट करता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों को अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हुए पारित आदेश का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया है (वीडियो

17 (2004) 5 एससीसी 119

राम नारंग (वी) ")। इसलिए हमारा विचार है कि उक्त निर्णय वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में कोई सहायता नहीं करेगा।

73. इसके अलावा, दीवानी अवमानना के लिए कार्रवाई करने के लिए, याचिकाकर्ता को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। नियाज़ मोहम्मद और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ (9) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। हरियाणा राज्य और

अन्य 20:

" 9. अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) "दीवानी अवमानना" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "किसी भी निर्णय, डिक्री की जानबूझकर अवज्ञा,

न्यायालय का निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया। जहां अवमानना में किसी पक्ष के पक्ष में दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन करने या उसे लागू करने में विफलता शामिल है, यह एक दीवानी अवमानना है। वह व्यक्ति या व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा आदेश है।

या निर्देश दिया गया है, कथित अवमानक के खिलाफ अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत का रुख कर सकता है, ताकि आदेश या निर्देश से प्रवाहित अधिकार को लागू किया जा सके। लेकिन ऐसी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन कार्यवाही की तरह नहीं है। जिस पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, वह इस तरह के आदेश के लाभ का हकदार है। अदालत ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि क्या कथित अवमानकर्ता को ऐसा न करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए

न्यायालय के निर्देश का पालन करने और उसे पूरा करने के लिए किसी विशेष मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। यही कारण है कि अधिनियम के निर्माताओं ने नागरिक अवमानना को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह जानबूझकर किया जाना चाहिए

न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा। अदालत के निर्देश का पालन न करने के लिए अवमानकर्ता को दंडित करने से पहले, अदालत को न केवल किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या रिट की अवज्ञा के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। दीवानी अदालत फैसले के खिलाफ एक डिक्री निष्पादित करते समय-ऋणी चिंतित नहीं है और इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या किसी भी फैसले या डिक्री की अवज्ञा जानबूझकर की गई थी। एक बार एक आदेश दिया गया है

19 (2009) 16 एससीसी 126

20 (1994) 6 एस. सी. सी. 332 रामा नारंग बनाम।

रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

पारित यह अदालत का कर्तव्य है कि वह डिक्री को निष्पादित करे जो भी उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन जाँच करते हुए

उस व्यक्ति की शिकायत जिसने अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है

अदालत अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए

अपने आदेश की अवज्ञा, इस तरह के किसी भी अवमानक को दोषी ठहराने और दंडित करने से पहले, अदालत को एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। यदि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से, अदालत के संज्ञान में लाया जाता है, तो अदालत का समाधान होता है कि हालांकि अवज्ञा हुई है, लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ लोगों के कारण हुई है। बाध्यकारी परिस्थितियां जिनके तहत अवमानकर्ता के लिए आदेश का पालन करना संभव नहीं था, अदालत नहीं कर सकती है

कथित अवमानकर्ता को दंडित करें।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अवमानना कार्यवाही सिविल संहिता के तहत निष्पादन कार्यवाही की तरह नहीं है।

प्रक्रिया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि जिन पक्षों के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, वे ऐसे आदेश के लाभों के हकदार हैं, लेकिन न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या कथित अवमानक को न्यायालय के निर्देशों का पालन और पालन नहीं करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, किसी विशेष मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है, इसलिए अधिनियम के निर्माताओं ने नागरिक अवमानना को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा होनी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए अवमानकर्ता को दंडित करने से पहले, न्यायालय

न केवल किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। हालाँकि, दीवानी अदालत फैसले के खिलाफ एक डिक्री निष्पादित करते समय-ऋणी इस बात से चिंतित और परेशान नहीं है कि क्या किसी फैसले या डिक्री की अवज्ञा की गई थी। जानबूझकर और एक बार डिक्री पारित हो जाने के बाद, डिक्री को निष्पादित करना अदालत का कर्तव्य था, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। अवमानना की कार्यवाही में अवमानकर्ता को दोषी ठहराए जाने और दंडित किए जाने से पहले, न्यायालय को एक निष्कर्ष दर्ज करना होता है, कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से, यद्यपि न्यायालय संतुष्ट है कि अवज्ञा हुई है, लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों का परिणाम है,

जिसके तहत अवमानकर्ता के लिए इसका पालन करना संभव नहीं है, न्यायालय कथित अवमानकर्ता को दंडित नहीं कर सकता है।

74. कंवर सिंह सैनी बनाम में न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय 2 1, एक दृष्टिकोण लेते हुए:

" 30. एक उपयुक्त मामले में जहां असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं, न्यायालय इन में लागू प्रावधानों का भी सहारा ले सकता है -

नागरिक अवमानना का मामला, उल्लंघन/उल्लंघन के मामले में

उपक्रम/निर्णय/आदेश या डिक्री। हालांकि, इस तरह के आवेदन पर कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले, अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि इस तरह के फैसले, डिक्री का उल्लंघन हुआ है।

निर्देश या आदेश और ऐसी अवज्ञा जानबूझकर की जाती है और

इरादतन। हालांकि एक डिक्री के निष्पादन के मामले में, निष्पादन अदालत को परेशान नहीं किया जा सकता है कि क्या अवज्ञा

परिस्थितियों और उस स्थिति में, उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है। [नियाज़ मोहम्मद बनाम देखें। की स्थिति हरियाणा [(1994) 6 एस. सी. सी. 332], बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। सद्रुद्दीन

हसन दया [(2004) 1 एससीसी 360: ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 942] और राम नारंग बनाम। रमेश नारंग [(2006) 11 एससीसी 114: ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1883] इस प्रकार, किसी निर्णय या डिक्री के उल्लंघन के लिए

आपराधिक अवमानना के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

75. आगे की टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

उक्त निर्णय के पैरा (38) में इस न्यायालय द्वारा:

" 38. अवमानना की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होने के कारण, आवश्यक सबूत का मानक उसी तरीके से है जैसे कि

अन्य आपराधिक मामले। कथित अवमानकर्ता संदेह के लाभ सहित आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों के संरक्षण का हकदार है। किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर मामले को उक्त प्रावधान के दायरे में लाने के लिए न्याय के प्रशासन में बाधा डालने का एक स्पष्ट मामला होना चाहिए। मामला केवल इस पर नहीं टिका होना चाहिए।

अनुमान और अनुमान। देबब्रत बंदोपाध्याय में

वी. डब्ल्यू. बी. राज्य [ए. आई. आर 1969 एस. सी. 189: 1969 क्रि एलजे 401], यह न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एयर पी। 193, पैरा 9)

12) 4 एस. सी. सी. 307 रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" 9. यह सवाल गंभीर है कि क्या अदालत की अवमानना हुई है या नहीं। न्यायालय अभियोगकर्ता होने के साथ-साथ आरोप का न्यायाधीश भी होता है। अदालत को सभी भत्ते देते हुए यथासंभव बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए।

निर्णय की त्रुटियों और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिए

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अप्रचलित प्रथाएँ। यह केवल तभी होता है जब दूषित आचरण का एक स्पष्ट मामला समझाया नहीं जा सकता है।

अन्यथा, यह उत्पन्न होता है कि अवमानकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए। अवमानना के कानून के तहत सजा की मांग तब की जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना में हो। एक अस्पष्ट मामले में कार्रवाई करना अवमानना के कानून को अन्य उपायों के लिए कर्तव्य बनाना है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। (जोर दिया गया) "

इस न्यायालय ने कहा है कि अवमानना की कार्यवाही अर्ध आपराधिक प्रकृति की है और आवश्यक सबूत का मानक समान है।

जैसा कि अन्य आपराधिक मामलों में होता है। कथित अवमानकर्ता संदेह के लाभ सहित आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों के संरक्षण का हकदार है। वहाँ एक स्पष्ट-कट होना चाहिए मामले को उक्त प्रावधान के दायरे में लाने के लिए जानबूझकर किसी पक्ष द्वारा न्याय के प्रशासन में बाधा डालने का मामला। न्यायालय ने देबब्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 22, जिसमें यह कहा गया था, कि अवमानना के कानून के तहत सजा की मांग तब की जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना में हो।

76. वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश की जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने का मामला बनाने में विफल रहा है। इस न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन। इसके विपरीत, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थियों ने वैधानिक प्रावधानों के तहत उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का सहारा लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री रोहतगी ने तर्क दिया है कि सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही स्वयं क्षेत्राधिकार के बिना है।

77. इस संबंध में तैयबभाई एम. बागसरवाला के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

(ऊपर)। पूरे कानून को स्कैन करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. इसलिए, सही सिद्धांत वह है जिसे धारा 9-ए में मान्यता दी गई है और दोहराया गया है, जहां -

दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए उठाया जाता है और उसमें कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने के लिए, अदालत को निर्णय लेना चाहिए

पहली बार में अधिकारिता का प्रश्न लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारिता के प्रश्न पर निर्णय लंबित होने तक, न्यायालय के पास अंतरिम आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूछताछ की जाए। अधिकार क्षेत्र पर केवल आपत्ति अदालत को किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से तुरंत अक्षम नहीं करती है। यह अभी भी गुजर सकता है

उचित आदेश। साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि

जल्द से जल्द संभव समय पर अधिकार क्षेत्र का प्रश्न। इस प्रकार पारित अंतरिम आदेश पारित होने पर अधिकार क्षेत्र के भीतर आदेश होते हैं और तब तक प्रभावी होते हैं जब तक कि अदालत यह निर्णय नहीं लेती कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

मुक़दमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र। ये अंतरिम आदेश

निस्संदेह इस निर्णय के साथ समाप्त हो जाता है कि यह न्यायालय

कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अदालत इन आदेशों को संशोधित करने के लिए खुली है, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वास्तव में, कुछ स्थितियों में, इस तरह के आदेशों को संशोधित करना या उचित निर्देश देना इसका कर्तव्य होगा। उदाहरण के लिए, एक मामले को लें, जहां एक पक्ष को एक रिसीवर नियुक्त करके या अन्यथा सूट संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है।

मामले में, न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुकदमे पर विचार करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, पक्ष को उस स्थिति में वापस रखना चाहिए जो वह मुकदमे की तारीख पर था। लेकिन इस शक्ति या दायित्व का इस प्रस्ताव से कोई लेना-देना नहीं है कि जब यह लागू होता है,

इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और वादी के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के सवाल का फैसला होने के बाद भी उनके उल्लंघन को दंडित किया जा सकता है बशर्ते अधिकार क्षेत्र के सवाल पर अदालत के फैसले से पहले उल्लंघन किया गया हो।

78. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इसलिए सही सिद्धांत यह है कि, जहां किसी वाद पर विचार करने और उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति ली जाती है, तो न्यायालय को प्रश्न का निर्णय करना चाहिए।

पहली बार में अधिकार क्षेत्र। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लंबित होने तक, न्यायालय के पास अंतरिम आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कहा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकार क्षेत्र पर केवल आपत्ति न्यायालय को कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से तुरंत अक्षम नहीं करती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अभी भी उचित आदेश पारित कर सकता है।

हालांकि, रामा नारंग बनाम। रामेश नारंग और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

इस न्यायालय ने कहा है कि अधिकारिता के प्रश्न पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए, इस प्रकार पारित अंतरिम आदेश अधिकार क्षेत्र के भीतर आदेश हैं, जब पारित किए जाते हैं और तब तक प्रभावी होते हैं जब तक कि अदालत यह निर्णय नहीं लेती है कि मुकदमे पर विचार करने के लिए उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वे अंतरिम आदेश निस्संदेह इस निर्णय के साथ समाप्त हो जाएंगे कि न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय का मानना है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह आदेशों को संशोधित करने के लिए खुला है। तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लागू रहते हुए, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और उनके उल्लंघन को वादी के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय लेने के बाद भी दंडित किया जा सकता है, बशर्ते उल्लंघन न्यायालय के निर्णय से पहले किया गया हो।

अधिकार क्षेत्र।

79. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने इसकी स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति जताई है सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही। 10 अप्रैल 2008 के अपने आदेश में सी. एल. बी. द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

" श्री गोपाल जैन ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया कि याचिका की स्थिरता पर निर्णय लिए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 397/398 के तहत एक कार्यवाही में, अब यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल तभी जब धारा 399 या इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में रखरखाव को चुनौती दी जाती है, तो अन्य आधारों पर चुनौती दी जानी चाहिए:

मामले के गुण-दोष के साथ विचार किया गया। वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 399 के तहत अर्हता प्राप्त करता है और इस बोर्ड के पास अधिकार क्षेत्र है -

अधिनियम की धारा 397/398 के तहत याचिका से निपटें। इसके अलावा, धारा 397/398 के तहत एक कार्यवाही में, यह कंपनी का हित है जो सर्वोपरि है। याचिका के साथ संलग्न विभिन्न अनुलग्नकों से यह स्पष्ट है कि निदेशकों के बीच मतभेदों के कारण, कई परिचालन मुद्दे, जैसे वेतन/मजदूरी का भुगतान, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान आदि शामिल हैं। कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के परिणामस्वरूप लंबित और

आपूर्ति आदि में अनियमितताएँ। इसलिए, मैं इस पर विचार करता हूँ

यह उचित है कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं किया जाता है, एक अंतरिम उपाय के रूप में, कंपनी के हित में, 3000 से अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए, एक तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा

दिन का संचालन बिना किसी अड़चन के किया जाता है। [जोर देना

80. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि वर्तमान याचिकाकर्ता के वकील ने एक मुद्दा उठाया था कि रखरखाव पर निर्णय लिए बिना

याचिका में, अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सका, सी. एल. बी. ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, कि केवल तभी जब रखरखाव को धारा 399 या सी. एल. बी. के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में चुनौती दी जाती है, तो अन्य आधारों पर चुनौतियों पर मामले के गुण-दोष के साथ विचार किया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, यह तथ्य स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 399 के तहत योग्य है और सीएलबी के पास अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इसने आगे कहा कि धारा 397/398 के तहत कार्यवाही में, यह कंपनी का हित है जो सर्वोपरि है। इसने कहा कि याचिका के साथ संलग्न विभिन्न अनुलग्नकों से यह स्पष्ट था कि निदेशकों के बीच मतभेदों के कारण कंपनी के प्रबंधन से संबंधित कई परिचालन मुद्दे जैसे वेतन/मजदूरी का भुगतान, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान आदि लंबित थे, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया और आपूर्ति में अनियमितता हुई। इसलिए सी. एल. बी. ने यह उचित माना कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक कंपनी के साथ-साथ 3000 से अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों के हित में एक अंतरिम उपाय के रूप में, एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा दिन-प्रतिदिन का संचालन बिना किसी बाधा के किया जाए।

81. यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। उल्लिखित टिप्पणियाँ

उपरोक्त निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता के मामले के प्रतिकूल हैं। सी. एल. बी. द्वारा पारित कोई भी आदेश उच्च मंचों के समक्ष अपील योग्य था। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है। उसी को चुनौती नहीं देने के बाद, हमारे विचार में, याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सी. एल. बी. के समक्ष कार्यवाही की स्थिरता के बारे में आपत्ति जताई है, इसलिए उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

और कार्यवाही की शुरुआत और उस पर पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय की अवमानना करने के बराबर होगा। हमारे विचार में, तैयबभाई एम. बागसरवाला (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए तर्क को खारिज करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय में

असंदिग्ध शर्तों में कहा गया है कि भले ही आपत्ति किसी मंच के अधिकार क्षेत्र में उठाई जाती है, उसके पास अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है जब तक कि वह अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का अंतिम निर्णय नहीं लेता है और इस तरह के आदेश पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी हैं जब तक कि अधिकार क्षेत्र

के मुद्दे का निर्णय नहीं हो जाता है। जैसा कि 10 अप्रैल 2008 के सी. एल. बी. के आदेश से देखा जा सकता है, हालांकि सी. एल. बी. ने रामा नारंग बनाम का उल्लेख किया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 397,398 और 399 में प्रथम दृष्टया कहा गया है कि केवल तभी जब कंपनी अधिनियम की धारा 399 के संदर्भ में या बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के आधार पर रखरखाव को चुनौती दी जाती है, तो पहले उसी पर विचार करना होगा और अन्य आधारों पर चुनौतियों पर मामले के गुण-दोष के साथ विचार करना होगा। सी. एल. बी. ने आगे कहा है कि यह एक स्वीकृत तथ्य था कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 399 के तहत योग्य है और न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है।

सी. एल. बी. के तहत कार्यवाही कानून में बनाए रखने योग्य थी। तब से कार्यवाही अंतिम निर्णय के लिए लंबित है, पक्षकारों को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे सहित उनके लिए उपलब्ध सभी मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता होगी।

82. परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि वर्तमान अवमानना याचिका बिना किसी योग्यता के है और खारिज किए जाने योग्य है, और

तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

83. यह हमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 87565 के साथ छोड़ देता है। प्रतिवादी संख्या 1, उक्त आवेदन द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांकित 30.04.2019 के फैसिलिटेटर के निर्णय का पालन करने का निर्देश देने की मांग कर रहा है।

84. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि वर्तमान अवमानना याचिका कोई योग्यता नहीं है और खारिज होने योग्य है, हम पाते हैं कि इस तरह के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, उत्तरदाताओं को कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध उपायों का सहारा लेने की अच्छी सलाह दी जा सकती है। हम इस संबंध में किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, श्री कपिल सिब्बल ने जोरदार तर्क दिया है कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और अवमानना के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।

याचिकाकर्ता, हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए जाने चाहिए। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के लागू होने पर, सी. एल. बी. के समक्ष लंबित कार्यवाही अब राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को हस्तांतरित कर दी गई है। पक्षकारों के लिए यह उचित होगा कि वे कानून के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे आदेशों की मांग के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के गुण और दोषों में गए बिना

एन, हम पार्टियों को कानून में उनके लिए उपलब्ध राज्य में भेजते हुए उसी का निपटारा करते हैं।सभी लंबित आई. ए., यदि कोई हों, का उपरोक्त प्रावधानों में निपटारा कर दिया गया है।

■ एल.

अवमानना याचिकाओं से निराशा